मध्यप्रदेश
राज्य खाद्य आयोग
भोपाल

वार्षिक प्रतिवेदन
2021-2022

खाद्य आयोग द्वारा समीक्षा बैठक जिला भिण्ड

खाद्य आयोग द्वारा समीक्षा बैठक जिला नर्मदापुरम

मध्यप्रदेश
राज्य खाद्य आयोग
भोपाल

वार्षिक प्रतिवेदन

2021-2022

o"kZ 2021&22

vuqdzef.kdk

Ø-	fo"k;oLrq	i`- Ø-
1	आयोग का गठन, उद्देश्य और कार्यप्रणाली का विवरण	01–07
2	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के विवरण	07–09
3	स्वीकृत,भरे एंव रिक्त पदों की जानकारी	09–09
4	वर्ष 2020–21, 2021–22 में प्राप्त बजट आवंटन और व्यय	10–14
5	प्राप्त शिकायतें एवं उनके निराकरण की स्थिति (2021–22)	15–25
6	प्रचार– प्रसार	26–26
7	आयोग की जिला स्तरीय बैठकों एवं निरीक्षण के विवरण	27–28
7.1	उज्जैन	29–29
7.2	मंदसौर	30–30
7.3	नीमच	31–31
7.4	रतलाम	31–32
7.5	मुरैना	32–32
7.6	भिण्ड	32–33
7.7	विदिशा	33–34
7.8	सीहोर	35–36
7.9	रायसेन	36–37
7.10	राजगढ़	37–38
7.11	भोपाल	39–40
7.12	होशंगाबाद	41–43
7.13	हरदा	44–45
8.	राज्य शासन को प्रेषित अनुशंसाओं पर पालन की स्थिति	46–47

vk;kx dk xBu] mnns'; vkj dk;li.kkyh

vk;kx dk xBu

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन से राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ–7–35–2013–उन्तीस–1, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 द्वारा मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 40 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक एफ 7–12/2016/उन्तीस–1, दिनांक 17 मई, 2017 द्वारा ''मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017'' जारी किये हैं। इस नियम के खण्ड 2 (च) में ''मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग'' को परिभाषित किया गया है। आयोग ने दिनांक 22 जुलाई, 2017 से भोपाल में कार्य करना प्रारम्भ किया ।

कार्यालय – आयोग का कार्यालय ''बी''–विंग, अपर बेसमेंट, सतपुडा भवन, भोपाल में स्थित है। आयोग के कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 0755–2556761, 2556762 तथा 2556766 है। आयोग का e-mail पता foodcommission@mp.gov.in है। खाद्य आयोग के कार्य दिवस एवं कार्यालय की समयावधि राज्य सरकार के कार्य दिवस एवं कार्यालयों की समयावधि के अनुरुप ही है।

vk;kx d xBu dk mnns';

राज्य खाद्य आयोग को प्रदेश में संचालित चार मुख्य योजनाओं यथा– 1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, 3. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) एवं 4. मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के मूल्यांकन एवं समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। आयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों और स्व–प्रेरणा से भी शिकायत की जांच कर सकता है। इन योजनाओं को और बेहतरीन ढंग से संचालन के लिये राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों को सलाह देना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। योजनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या हितग्राही जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होता है, तो वह आयोग को अपील कर सकता है।

jk"Vh; [kk| lj{kk vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 3] 4] 5] 6 d vrxir fgrxkfg;k dk [kk| lj{kk d fy; fuEukulkj vf/kdkj fn; x; g %&

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र परिवारों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार,
- गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों तथा कुपोषित बच्चों को पोषाहार सहायता,
- 14 वर्ष से कम उम्र के विद्यालय जाने वाले बालकों को पोषणीय सहायता–मध्यान्ह भोजन,

- गर्भवती स्त्री को मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विहित प्रसूति लाभ के रुप में रुपये 6000/— दिये जाने का प्रावधान।

mDr ;kstukvksa ls cPpksa ,oa efgykvksa dks fuEukuqlkj ykHkkfUor fd;k tk jgk gS&

yf{kr lkoZtfud forj.k i.kkyh

- अन्त्योदय अन्न योजना के प्रत्येक सात सदस्य तक के परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, सात सदस्य से अधिक प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार के मान से अतिरिक्त रुप से दिया जाने की व्यवस्था है।
- अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत प्रति परिवार प्रति माह शक्कर प्रदाय की जा रही है।
- प्रत्येक प्राथमिकता श्रेणी के परिवार जिसमें बीपीएल श्रेणी भी सम्मिलित है, को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न देने की व्यवस्था है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक पात्रताधारी परिवार को गेहूँ, चावल, मोटा अनाज एवं नमक एक रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है।
- ऐसे पात्र हितग्राहियों को जिन्हें उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें प्रति माह पात्रतानुसार केरोसीन प्रदाय किया जा रहा है।
- कोविड – 19 अवधि में पात्र हितग्राहियों को अग्रिम खाद्यान्न प्रदाय किया गया। बेसहारा प्रवासी परिवारों को भोजन प्रदाय करने के लिये जिला प्रशासन को आवंटन उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को प्रति सदस्य 05 किलो गेहूँ/चावल निःशुल्क प्रदाय कराया गया। यह योजना मार्च, 2022 तक जारी है। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 15 किलो खाद्यान्न सशुल्क प्रदाय किया गया।

i/kkuea=h ik"k.k 'kfDr fuek.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;de&

इस योजना के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार गर्म भोजन देने का प्रावधान है :–

Ø-	'kkyk dk Lrj	[kk|kUu dh ek=k ifr Nk=	Åtk ¼dSyksjh e½	Hkkstu idkus dh ykxr jkf'k ifr fnol ¼jkf'k :i;s e½		dqy ¼24-6-19 ls ykxw½
				dsUnka'k	jkT;ka'k	
1	प्राथमिक	100 ग्राम	450	2.69	1.79	4.48
2	माध्यमिक	150 ग्राम	700	4.03	2.68	6.71

ukcy dkjkuk ok;jl ¼COVID&19½ es ih,e ik"k.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;ldze &

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार एन.आई.सी. द्वारा पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) कार्यक्रम पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर माह नवंबर, 2020 से दिनांक 04 अगस्त, 2021 तक कुल 176 शैक्षणिक दिवसों हेतु भोजन पकाने की लागत राशि के समतुल्य मान से प्रदाय की जाने वाली साबुत मूंग की मात्रा एवं उस पर व्यय होने वाली राशि का विवरण :–

d-	'kkyk dk uke	dqy ntZ Nk= la[;k	Hkkstu idkus dh jkf'k #- izfr fnu izfr Nk=	izfr Nk= ewax dh ek=k 176 fnolks gsrq fd-xzk- esa	dqy ewax dh ek=k	dqy jkf'k djksM #- esa] #- 85-57 izfr fd-xzk- ds eku ls
1	2	3	4	5	6	7
1	प्राथमिक	4080906	4.97	10	40809060	349.20
2	माध्यमिक	2513477	7.45	15	37702155	322.62
	योग	6594383	–	–	78511215	671.82

इस प्रकार 176 दिवस हेतु प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत भोजन पकाने की लागत राशि के समतुल्य मान से सार्वजनिक वितरण प्रणााली के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र–छात्राओं को साबुत मूंग का वितरण किया जा रहा है।

वर्तमान परिस्थितियों में शालाओं में गर्म पका हुआ भोजन वितरण कार्य प्रारंभ रखे जाने, साथ ही लक्षित छात्रों के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत अनुपस्थिति के दिवसों में खाद्य सुरक्षा भत्ता के रुप में सूखा राशन प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किये गये हैं :–

शाला में कुल दर्ज संख्या के मान से गणना अनुसार कुल खाद्यान्न का 50 प्रतिशत समस्त दर्ज छात्रों में वितरित किया जावेगा एवं इसी प्रकार कुल दर्ज छात्र संख्या के मान से भोजन पकाने की लागत राशि का 50 प्रतिशत भी छात्रों में डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जावेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि व खाद्यान्न से शालाओं में गर्म पका हुआ भोजन वितरण का कार्य जारी रखा जाएगा जो कि उपस्थित छात्र संख्या के मान से खाद्यान्न एवं भोजन पकाने की राशि का आंकलन कर संबंधित एजेंसी को प्रदाय की जावेगी।

iwjd iks"k.k vkgkj dk;ZØe

- 01 अप्रैल 2018 से आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिका योजनांतर्गत किशोरी बालिकाओं को प्रदायित पूरक पोषण आहार की मात्रा एवं दर निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :–

d्-	iox	iujhf{kr nj	Hkkstu dk izdkj	ikVhu ¼xzke esa½	dsyksjh ¼fd-dsyksjh esa½
1.	बच्चे (06 माह से 03 वर्ष तक)	रू. 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	टेक होम राशन	12–15 ग्राम	500 कैलोरी
2	बच्चे (03 वर्ष से 06 वर्ष तक)	रू. 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	आंगनवाड़ी केन्द्र पर नाश्ता व गर्म भोजन	12–15 ग्राम	500 कैलोरी
3	गंभीर कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रू. 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	टेक होम राशन (थर्ड मील के साथ)	20–25 ग्राम	800 कैलोरी
4	गर्भवती/धात्री माताएं	रू. 9.50 प्रति महिला प्रतिदिन	टेक होम राशन	20–25 ग्राम	600 कैलोरी
5	किशोरी बालिका योजनान्तर्गत	रू. 9.50 प्रति महिला प्रतिदिन	आं. केन्द्र पर नाश्ता व गर्म भोजन	15–20 ग्राम	500 कैलोरी

ekrRo dY;k.k ¼iz/kkuea=h ekr` oanuk½ ;kstuk

प्रदेश में 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गयी है, इस योजना अंतर्गत परिवार में प्रथम प्रसव के लिये गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति, गर्भावस्था के दौरान अच्छे खान–पान एवं सुरक्षित प्रसव के लिये रुपये 5000/– तीन किश्तों में दिये जाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी केन्द्र में गर्भवस्था के पंजीयन के तत्काल बाद फार्म 1A में आवेदन करने पर प्रथम किस्त के रुप में रुपये 1000/–, प्रथम प्रसव पूर्व जांच होने एवं गर्भावस्था के 6 माह पश्चात फार्म 1B में आवेदन करने पर द्वितीय किस्त के रुप में रुपये 2000/– तथा प्रसव के पश्चात शिशु के जन्म का पंजीकरण होने एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर रुपये 2000/– तृतीय किस्त के रुप में दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि महिलाओं के बैंक/पोस्टआफिस के खाते में जमा कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्थागत प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा का लाभ रु.1000 पृथक से देय होता है।

कोविड–19 संक्रमणकाल के दौरान कोविड संक्रमण बचाव के मानकों का पालन करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन :–

संचालक, महिला एवं बाल विकास के परिपत्र दिनांक 25.11.2021 अनुसार दिनांक 15.11.2021 से आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की उपस्थिति पुनः सुनिश्चित करते हुए हितग्राहियों को स्व सहायता समूह के माध्यम से नियमित रुप से निर्धारित मात्रा में गुणवत्तायुक्त सुबह का ताजा पका हुआ नाश्ता, दोपहर का भोजन नियत समय प्रदाय करना प्रारंभ किया गया है।

¼1½ lqj{kkRed mik; %&

- आंगनवाड़ी केन्द्र के अंदर एवं बाहर आस–पास की साफ–सफाई, स्वच्छता एवं कोविड–19 संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा मास्क का अनिवार्यतः उपयोग तथा बार–बार हाथों की धुलाई/सेनेटाईजेशन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले प्रत्येक सदस्य को मास्क पहनना। अनावश्यक व्यक्तियों के प्रवेश को रोकना। आवश्यक संदेश बाहरी दीवार पर प्रदर्शित करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में नियमित हाथ धुलाई, संक्रमणमुक्त वातावरण, सोशल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) का पालन सुनिश्चित करना एवं बाहरी दीवारों पर प्रदर्शित करना।
- 65 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों, सह–सक्रमण बीमारी वाले व्यक्तियों का आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रवेश वर्जित करना।

¼2½ ijd iks"k.k vkgkj %&

- गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार के रुप में टेक होम राशन का प्रदाय मंगल दिवस के दिन आंगनवाड़ी केन्द्र पर वितरण एवं आवश्यक परामर्श देना।
- आंगनवाड़ी स्तर पर बच्चों को नाश्ता एवं भोजन परोसने हेतु उपयोग आने वाले बर्तन यथा थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि की सफाई नियमित कराना।

¼3½ xkFk ekuhVfjx %&

- आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के मासिक शारीरिक माप हेतु माह के 11 से 20 की तिथि में 3 वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चों को प्रतिदिन अधिकतम 8 से 10 की संख्या में उनके देखभालकर्ता के साथ बुलाकर उनका वजन एवं लम्बाई/ऊँचाई लिया जाकर उनके पोषण स्तर का निर्धारण करना।
- 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को इन तिथियों में उनके प्रतिदिन आंगनवाड़ी की गतिविधियों के उपरांत शारीरिक माप हेतु उनका वजन एवं लम्बाई/ऊँचाई लिया जाकर उनके पोषण स्तर का निर्धारण करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों की प्राथमिकता के आधार पर मासिक शारीरिक माप एवं देखभाल, हाईरिस्क गर्भवती तथा धात्री माताओं की अनिवार्य एवं नियमित निगरानी तथा पूरक पोषण आहार सेवन आदि गृहभेंट कर सुनिश्चित करना।

¼4½ xEHkhj dikf"kr cPpk d ,dhdr icU/ku %&

- ग्रोथ मॉनीटरिंग के दौरान चिन्हित अति गंभीर कुपोषित बच्चों का ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान ए.एन.एम. से स्वास्थ्य जॉच कर चिकित्सकीय जटिलता का आंकलन एवं जांच में फेल होने पर उन्हें नजदीकी पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) में भर्ती हेतु रेफर करना।
- एनआरसी में भर्ती बच्चों के डिस्चार्ज उपरान्त उन्हें पुनः समुदाय आधारित प्रबन्धन कार्यक्रम में जोड़ा जाकर उनका साप्ताहिक फॉलोअप सुनिश्चित करना।

- चिन्हित सभी MAM (मध्यम कुपोषित) बच्चों का प्रति सप्ताह वजन कर उनका साप्ताहिक फॉलोअप किया जाना एवं परिवार को आवश्यक पोषण परामर्श गृह भेंट कर दिया जाना।

- SAM (अति कुपोषित) बच्चों की सूची प्रत्येक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से साझा करना एवं बच्चों की स्वास्थ्य जॉच को सुनिश्चित करना।

¼5½ ijke'kZ lsok,a %&

- प्रत्येक मंगलवार को मंगल दिवस का आयोजन करना। आयोजन हेतु पात्रता अनुसार हितग्राही समूहों के साथ–साथ सहयोगिनी मातृ समिति तथा महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों, शौर्या दल सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित कर हितग्राहियों एवं समुदाय से पोषण संवाद कर परामर्श देना।

- पात्र हितग्राहियों को ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस, गृहभेंट के दौरान अथवा वीडियो/टेलीफोन और वाटसअप संदेशों के माध्यम से मातृ, नवजात एवं शिशु देखभाल एवं आहार पूर्ति संबधी परामर्श देना।

¼6½ bZ-lh-lh-bZ- lsok,a %&

- ऑगनवाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कर कोविड–19 संक्रमण से बचाव के मानकों का पालन करते हुए उम्रवार 5–8 बच्चो के समूह में शालापूर्व शिक्षा की गतिविधियों का आयोजन प्रारंभ करना।

- बाल चौपाल के आयोजन में बच्चों द्वारा निर्धारित थीम के अनुसार गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करना।

¼7½ dksjksuk jksxh dh igpku mijkar cpko ,oa mipkj gsrq vko';d funsZ'k%&

- आंगनवाड़ी केन्द्र में यदि किसी बच्चे अथवा वयस्क में कोविड संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो तत्काल उसे घर वापस भेजा जावे तथा कार्यकर्ता /सहायिका द्वारा आशा/ए.एन.एम./प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ स्थानीय प्रशासन द्वारा की गयी अन्य व्यवस्था को सूचित करना।

- यदि कोरोना प्रभावित व्यक्ति आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रवेश कर जाता है तो स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित एवं उनके सहयोग से केन्द्र एवं परिसर को पुनः सेनेटाईज कराना।

- किसी व्यक्ति के कोविड संक्रमण प्रभावित के संपर्क में आने पर उसे सेल्फ आईसोलेट होने को कहें एवं स्वास्थ्य अमले को सूचित करना।

dk;Zi.kkyh

[kk| lqj{kk vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 16 ¼6½ ds vUrxZr jkT; [kk| vk;ksx fuEufyf[kr d`R;ksa dks vius gkFk esa ysxk] vFkkZr~

(क) राज्य के सबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना,

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबन्धित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्व–प्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर जांच करना,

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार को सलाह देना,

(घ) व्यक्तियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिये समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देना,

(ड.) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना,

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

vk;kx d v/;{k ,o lnL;k dh fu;fDr

राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 16 की उपधारा (1) एवं (2) सह पठित मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव एवं प्रशासकीय अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है :–

[kk| vk;kx d lnL;k dk dk;{k= dk vkoVu&

Ø	inkf/kdkjh dk uke ,o irk	inuke	"k 'kklu }kjk tkjh fu;fDr vkn'k d- ,o fnukd	inxg.k fnukd
1	13.8.2020 से रिक्त	अध्यक्ष	(नियुक्ति प्रक्रियाधीन है)	
2	01.10.2021 से रिक्त	सदस्य	(नियुक्ति प्रक्रियाधीन है)	
3.	13.12.2021 से रिक्त	सदस्य	(नियुक्ति प्रक्रियाधीन है)	
4.	श्री गोरेलाल अहिरवार, बी–5, लक्ष्मी परिसर, नियर बेस्ट प्राइज, मेन रोड, करोंद, भोपाल	सदस्य	एफ 7–35–2013–29–1, दिनांक 31.07.2017	03 अगस्त, 2017 से निरंतर
5.	श्री बीरसिंह चौहान, म.नं. ए–121 शंकराचार्य फलॉवर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल	सदस्य	एफ 7–35–2013–29–1, दिनांक 29.07.2017	03 अगस्त, 2017 से निरंतर

6.	श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय, म.नं. ए–107 शंकराचार्य फलॉवर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल	सदस्य	एफ7–35–2013–29–1, दिनांक 29.07.2017	09 अगस्त, 2017 से निरंतर
7.	श्रीमती अलका श्रीवास्तव,भा.प्र..से. ई एन – 2/28 चार ईमली, भोपाल	सदस्य सचिव	E-1/141/20/5/1, दिनांक 18 मई, 2020	01 अगस्त, 2020 से निरंतर
8.	श्री अनिल तिवारी, जी–14/28, नार्थ टीटीनगर, जवाहर चौक, भोपाल	प्रशासकीय अधिकारी	आदेश क्र. 2704/स्थापना/20, दिनांक 09 जून, 2020	15 जून, 2020 से निरंतर

मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का कार्य प्रदेश में संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) कार्यक्रम एवं मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) की सतत् समीक्षा एवं मूल्यांकन करने का है। इन कार्यक्रमों से संबंधी शिकायतों का निराकरण करना एवं जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित हितग्राही की अपील सुनना एवं उसका निराकरण करना आयोग के प्रमुख कर्तव्यों में शामिल हैं। योजना के सफल संचालन में राज्य शासन के अलावा जन प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं स्थानीय निकायों के प्रतिानिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पात्र हितग्राही की पहचान तथा उन्हें अधिनियम द्वारा दिए गए कानूनी हक दिलाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। ग्रामों एवं शहरी बस्तियों में सेवा प्रदाय करने वाले शासकीय अधिकारी की समझ एवं उनकी तत्परता पर भी कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। योजना के मूल्यांकन के समय हितग्राहियों की संतुष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चूंकि ये सभी कार्यक्रम व्यापक स्तर के हैं और प्रदेश के सभी ग्रामों एवं शहरी बस्तियों में संचालित हो रहे हैं, इसलिये योजनाओं का निरीक्षण किए बिना, हितग्राहियों तथा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा किए बिना योजनाओं का मूल्यांकन होना संभव नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोग द्वारा कार्यालयीन आदेश क्र 288/खाद्य आयोग/2017, दिनांक 16.11.2017 द्वारा राज्य खाद्य आयोग में पदस्थ पांच सदस्यों के मध्य संभाग एवं जिलों का आवंटन निम्नानुसार किया गया है:–

Ø-	lnL; dk uke	vkofVr lEHkkx	vkofVr ftys dk uke
1.	श्रीमती दुर्गा डावर, (1.10.21 से रिक्त)	जबलपुर, होशंगाबाद	जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी तथा होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा।
2.	श्री किशोर खण्डेलवाल, (13.12..21 से रिक्त)	उज्जैन, चम्बल	उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर,नीमच तथा मुरैना, भिण्ड एवं श्योपुरकलां
3.	श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय	इंदौर, ग्वालियर	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, तथा ग्वालियर, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी एवं दतिया

4.	श्री गोरेलाल अहिरवार	सागर, शहडोल	सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना तथा शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर
5.	श्री बीरसिंह चौहान	भोपाल, रीवा	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा तथा रीवा, सतना, सीधी, एवं सिंगरौली

jkT; [kk| vk;kx d Lohd`r ,o Hkj ink dh tkudkjh

d	inuke	Lohd`r ink dh la[;k	Hkj ink dh la[;k	fjekdl
1.	अध्यक्ष	1	0	—
2.	सदस्य	5	3	एक पूर्व विधायक तथा दो—अन्य सामाजिक कार्यकर्ता।
3.	सदस्य सचिव	1	1	म.प्र. सामान्य प्रशाासन विभाग से पदस्थ सचिव स्तर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।
4.	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	म.प्र.शासन, खाद्य विभाग से पदस्थ सहायक संचालक स्तर के अधिकारी।
5	निज सचिव	6	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी।
6	निज सहायक	6	0	—
7	स्टेनोग्राफर	4	0	—
8	लेखापाल	1	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी ।
9	असिस्टेन्ट	2	0	—
10	स्टेनोटायपिस्ट	1	0	—
11	रीडर	2	0	—
12	रिकार्ड कीपर	1	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी
13	सहायक ग्रेड 3	10	2	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी
14	वाहन चालक	05	0	—
15	भृत्य	15	4	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी
	योग	61	14	

नोट :– राज्य शासन के आदेश कमांक एफ 7–35(3–2)/2013/29–1, दिनांक 14 दिसंबर, 2018 द्वारा पूर्व से स्वीकृत अध्यक्ष एवं सदस्यों को छोड़कर उक्त पद सृजित किये गये हैं ।

;kstuk d- 1921&e-i- jkT; [kk| vk;kx dk xBu

वर्ष 2020–21 में 31 मार्च, 2021 तक प्राप्त बजट – आवंटन एवं व्यय तथा वर्ष 2021–22 में प्राप्त बजट एवं दि. 31 दिसंबर, 2021 तक व्यय की जानकारी

मांग संख्या 39– मेजर हेड–2408, सबमेजर हेड–01, माइनर हेड–001, स्कीम (योजना) 1921, सिगमेंट 0101, चार्ज वोटेड, आब्जेक्ट कोड–11,12,16,21,22,23,31,35,63

foRrh; o"kZ 2020&21

ctn en ,oa ;kstuk dk uke				foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vks- dks miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy O;; 31-03-2021
Ø-	11 oru HkRrs	vkoVu				
1	2	3	4	5	6	7
1	001	वेतन	1606000	0	1606000	1584774
2	003	मंहगाई भत्ता	273000	0	273000	93600
3	004	वाहन भत्ता	48000	0	48000	0
4	006	मकान किराया भत्ता	720000	0	720000	11475
5	007	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	0	0	0	0
6	008	अन्य भत्ते	2000	0	2000	0
7	009	चिकित्सा व्यय	100000	0	100000	0
8	010	अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0
9	011	त्योहार अग्रिम	0	0	0	0
10	016	अनाज अग्रिम	0	0	0	0
11	018	चिकित्सा अग्रिम	100000	0	100000	0
12	028	मंहगाई वेतन (ग्रेड पे)	0	0	0	0
13	;ksx	mnn'; 11	2849000	0	2849000	1689849
14		12& etnwjh	1000	0	1000	0
15		16 oru HkRrs				0

16	001	वेतन	2545000	0	2545000	1251355
17	003	मंहगाई भत्ता	611000	0	611000	212731
18	006	मकान किराया भत्ता	410000	0	410000	0
19	009	चिकित्सा व्यय	60000	0	60000	0
20		;kx mnns'; &16	3626000	0	3626000	1464086
21		21 ;k=k HkRrk				0
22	001	यात्रा भत्ता	200000	0	200000	15680
23	002	स्थानांतरण यात्रा हेतु	102000	0	102000	0
24		योग उददेश्य –21	302000	0	302000	15680
25		22 कार्यालय व्यय				0
26	001	डाक एवं तार व्यय	10000	0	10000	0
27	002	दूरभाष व्यय	240000	0	240000	72388
28	003	फर्नीचर एवं उपकरण	3777000	0	3777000	3777000
29	004	पुस्तकें एवं नियतकालीन पत्रिकाएं	20000	0	20000	4605
30	005	बिजली एवं जल प्रभार	1263200	0	1263200	1261200
31	006	वर्दियां	7000	0	7000	0
32	007	लेखन सामग्री एवं फार्म	270000	0	270000	61810
33	008	अन्य आकस्मिक व्यय	160000	0	160000	108380
34	009	पेट्रोल, तेल आदि	75000	0	75000	11000
35	010	आतिथ्य व्यय	200000	0	200000	22910

36	012	मुद्रण एवं प्रकाशन	550000	0	550000	489960
37	013	कार्यालय उपकरणों काक्रय	250000	0	250000	0
38		;kx mnn'; &22	6822200	0	6822200	2031253
39		23&001 uohu okgu dkd;	1000	0	1000	0
40		31 व्यावसायिक सेवाओं	हेतु अदायगी			
41	002	परामर्श सेवाएं	23000	0	23000	0
42	003	अभिभाषकों की फीस	23000	0	23000	0
43	004	विशेष सेवाओं के लिये मानदेय	5000000	0	5000000	3480779
44	006	सफाई व्यवस्ध्था	100000	0	100000	21000
45	007	परिवहन व्यवस्था	950000	0	950000	406370
46	010	अन्य	1000000	0	1000000	22500
47		;kx mnn'; &33	7096000	0	7096000	3930649
48		35– विज्ञापन प्रचार प्रसार	1000	0	1000	0
49		63–001 मशीने और संयंत्र	1000	0	1000	0
50		;kx ;ktuk &1921	20699200	0	20699200	12908517

o"kZ 2021&22 esa ikIr ctV & vkoaVu ,oa 31-12-2021 rd O;; dh tkudkjh&

ctn en ,oa ;kstuk dk uke				foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vk- dk miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy O;; 31-12-2021
Ø-	11 osru HkRrs	vkoaVu				
1	2	3	4	5	6	7
1	001	वेतन	1631000	0	1631000	605000
2	003	मंहगाई भत्ता	392000	0	392000	83640
3	004	वाहन भत्ता	48000	0	48000	0
4	006	मकान किराया भत्ता	685000	0	685000	20655
5	007	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	0	0	0	0
6	008	अन्य भत्ते	2000	0	2000	0
7	009	चिकित्सा व्यय	50000	0	50000	0
8	010	अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0
9	011	त्योहार अग्रिम	0	0	0	0
10	016	अनाज अग्रिम	0	0	0	0
11	018	चिकित्सा अग्रिम	500000	0	50000	00
12	025	संविदा वेतन	1000	0	1000	0
13	योग	उददेश्य 11	2859000	0	2859000	709295
14		12– मजदूरी	1000	0	1000	0
		16 वेतन भत्ते				
15	001	वेतन	2545000	0	2545000	413933
16	003	मंहगाई भत्ता	611000	0	611000	82786
17	006	मकान किराया भत्ता	150000	0	150000	0
18	009	चिकित्सा व्यय	60000		60000	0
		योग उददेश्य –16	3366000	–	3366000	496719
		21 यात्रा भत्ता				
19	001	यात्रा भत्ता	100000	0	100000	0
20	002	स्थानांतरण यात्रा हेतु	102000	0	102000	0
		योग उददेश्य –21	202000	0	202000	0
		22 कार्यालय व्यय				

21	001	डाक एवं तार व्यय	10000	0	10000	2000
22	002	दूरभाष व्यय	240000	0	240000	46729
23	003	फर्नीचर एवं उपकरण	3777000	0	3777000	3000000
24	004	पुस्तकें एवं नियतकालीन पत्रिकाएं	20000	0	20000	6205
25	005	बिजली एवं जल प्रभार	2400000	0	2400000	840800
26	006	वर्दियां	7000	0	7000	0
27	007	लेखन सामग्री एवं फार्म	250000	0	250000	5911
28	008	अन्य आकस्मिक व्यय	160000	0	160000	45046
29	009	पेट्रोल, तेल आदि	250000	0	250000	0
30	010	आतिथ्य व्यय	100000	0	100000	15720
	012	मुद्रण एवं प्रकाशन	200000	0	200000	113400
31	013	कार्यालय उपकरणों का क्रय	250000	0	250000	0
		योग उददेश्य –22	7664000	–	7664000	1075811
32		23–वाहन क्रय	1000	0	1000	0
33		31 व्यावसायिक सेवाओं	हेतु अदायगी			
34	002	परामर्श सेवाएं	15000	0	15000	0
35	003	अभिभाषकों की फीस	15000	0	15000	0
36	004	विशेष सेवाओं के लिये मानदेय	5000000	0	5000000	2248040
37	006	सफाई व्यवस्था	100000	0	100000	9000
38	007	परिवहन व्यवस्था	950000	0	950000	0
39	010	अन्य	800000	0	800000	117570
		योग उददेश्य –33	6880000	–	6880000	2374610
		35–विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार	1000	0	1000	0
		33 –001 उपकरणों का अनुरक्षण	1000	0	1000	0
		योग योजना –1921	2,09,75,000	0	2,09,75,000	76,56,435

टीप :– (30 लाख रु. बीसीओ 1807 सीपीए को हस्तांतरण सम्मिलित है।)

o"kZ 2021&22 esa vk;ksx dks izkIr f'kdk;rsa ,oa fujkdj.k dh fLFkfr&

Ø	f'kdk;r dk fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;Zokgh
1	2	3	4	5	6
1	12.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भोपाल दिनांक 11.01. 2021 जिला कटनी	सड़ गई कैम्प में भण्डारित की 01 लाख टन धान के संबंध में	कलेक्टर जिला कटनी को लिखा गया	कलेक्टर कटनी के पत्र क्र. 1988 दि 07. 07.2021 के पत्र अनुसार 27,935 मै.टन उपार्जित धान मंझगवां मार्केटिंग फेडरेशन के ओपेन कैप में भण्डारित धान के संबंध में प्रकाशित समाचार की जांच में पाया गया कि भण्डारित धान समय सीमा में उठाव न हो सकने, अत्यधिक समय से धूप एवं बारिश के कारण कैप कवर खराब हो जाने, once use बारदाने होने के कारण बारदाने फट गये थे जिससे धान बिखर गयी थी।
2	12.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भोपाल दिनांक 11.01. 2021 जिला रीवा	सड़ गई कैम्प में भण्डारित की 01 लाख टन धान के संबंध में	कलेक्टर जिला रीवा को लिखा गया	जिला आपूर्ति नियत्रक, रीवा के पत्र क्र. 13/खाद्य ., दि. 06.01.2022 के संलग्न शाखा प्रबंधक, वेअरहाउसिंह कापो., रीवा के प्रतिवेदन अनुसार घूमा में नवीन केप तैयार कर तत्काल धान का भण्डारण जमाकर्ता द्वारा नवंबर, 2019 से जनवरी, 2020 तक कराया। 09 माह बाद स्कंध का भुगतान कराया गया। इससे नीचे के लेयर की कुछ बोरियां नमी एवं सीलन के कारण डिस्कलर स्थिति में हो गयी हैं।
3	12.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भोपाल दिनांक 11.01. 2021 जिला सतना	सड़ गई कैम्प में भण्डारित की 01 लाख टन धान के संबंध में	कलेक्टर जिला सतना को लिखा गया	जिला प्रबंधक, म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कापो., सतना के पत्र क्र. 459, दि0 6.01.2022 के अनुसार जिले के वर्ष 2019–20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में से शेष 27021.49 मै.टन धान ओपन कैपो में भण्डारित धान वर्षा के दौरान संबंधित शाखा प्रबन्धकों द्वारा सही रख–रखाव न किये जाने के कारण डिस्कलर हो गयी थी।

4	12.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भोपाल दिनांक 11.01. 2021 जिला सिवनी	सड़ गई कैम्प में भण्डारित की 01 लाख टन धान के संबंध में	कलेक्टर जिला सिवनी को लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 1140/उपार्जन/2021, दिनांक 23.07.2021 द्वारा जानकारी दी गयी कि ओपन कैपों में भण्डारित धान सड़कर खराब नहीं हुई है। केवल बारदाना की बाहरी सतह एवं उसके संपर्क में आई धान की गुणवत्ता आंशिक रुप से प्रभावित हुई है।
5	12.01.2021	नव दुनिया समाचार, भोपाल दिनांक 12.01. 2021 जिला बालाघाट	गरीबों तक पहुंचने से पहले ही सड़ गया गेहूँ	कलेक्टर जिला बालाघाट को लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी, बालाघाट के पत्र क्र. 19, दि04.01.2022 के पत्र अनुसार रैक प्राप्ति दिनांक 11.2.2021 को कुल प्राप्त गेहूँ 26263. 20 क्विटल में अमानक मात्रा 25341.48 क्विंटल गेहूँ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय नहीं किया गया है।
6	13.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भोपाल दिनांक 12. 01.2021 एवं हरिभूमि, भोपाल दिनांक 13.01. 2021	बीपीएल कार्डो और खाद्यान्न को लेकर गैस पीड़ितों का प्रदर्शन एवं पात्रता पर्ची नहीं मिलने पर महिलाओं ने कलेक्टोरेट में किया हंगामा	कलेक्टर जिला भोपाल को लिखा गया	जिला आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल के पत्र क्र. 195., दि.23.01.2021 के अनुसार अध्यक्ष, गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा, द्वारा प्रस्तुत 120 हितग्राहियों में से 49 हितग्राहियों की पात्रता पर्ची जनरेट हो गयीहै, शेष 11 पर्ची जारी करने हेतु राशन मित्र एप पर स्वीकृत हैं एवं शेष 60 राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को नगरनिगम के वार्ड कार्यालयों से विभिन्न श्रेणी में सत्यापन तथा आधार के साथ समग्र आईडी में सीड करने के उप. रांत अनुशंसा उपरांत, डीएसओ/जेएसओ लॉगिन से राशन दुकान पर मैप कर स्वीकृत करने के उपरांत अपडेशन के बाद राशन की पात्रता पर्ची एनआईसी से ऑनलाईन जारी की जा सकेगी।
7	28.01.2021	नई दुनिया समाचार, भोपाल दिनांक 18.01. 2021 जिला गुना	आधी रात को पकड़ा पीडीएस का गेहूँ, गुना में जिला प्रशासन ने की छापेमारी	कलेक्टर जिला गुना को लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी गुना के पत्र क्र. 971/खाद्य/टीएल/2021, गुना दिनांक 08.07.2021 के अनुसार सहायक आपूर्ति अधिकारी, गुना द्वारा दिनांक 29.01.2021 को श्री सुनील जैन पुत्र फूलचंद जैन, प्रोप्राइटर मेसर्स बालाभेंट इंटरप्राइजेस, गल्ला मंडी गुना की गुना कोतवाली में एफआईआर 0119 दि. 29.01.2021 द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया।

8	28.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, सतना दिनांक 13.01. 2021 जिला पन्ना	चार माह से नहीं मिला खाद्यान्न, दर–दर भटकने को मजबूर गरीब	कलेक्टर जिला पन्ना को लिखा गया	अपर कलेक्टर पन्ना के पत्र क्र. 17, दि.07.01.2022 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद ककरहटी द्वारा कराये गये सत्यापन में 90 परिवारों का राशन बंद हुआ था, इसमें से 87 परिवार पात्र पाये जाने पर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाकर पात्रता पर्ची का वितरण किया जा चुका है।
9	05.02.2021	दैनिक भास्कर, भोपाल दिनांक 04.02.2021 जिला भोपाल	सीलन भरे तंग कमरों में 30–30 बच्चे, बोरियां बिछाकर आंगनवाड़ी में कर रहे पढ़ाई	कलेक्टर जिला भोपाल को लिखा गया	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, भोपाल के पत्र क्र. 3981, दि. 22.12. 2021 अनुसार आंगनवाड़ी के हितग्राहियों को कोविड काल में घर–घर जाकर रेडी–टू–ईट पोषण आहार का वितरण किया गया। जिले की कुल 1872 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 925 शासकीय भवन में तथा शेष 947 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है।
10	05.02.2021	दैनिक भास्कर, भोपाल दिनांक 03.02.2021 जिला भोपाल	8680 बच्चियों को देना था राशन, महिला बाल विकास कागजों पर 1.71 लाख को भेजता रहा।	आयुक्त, महिला बाल विकास एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा गया।	संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, भोपाल के पत्र क्र. 3477, दिनांक 07.01. 2022 प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 11–14 वर्ष की समस्त पात्र शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन दिया जाता है।
11	06.02.2021	दैनिक भास्कर, भोपाल दिनांक 06.02. 2021 जिला अशोकनगर	पीडीएस मशीन में अपने आप ही घट बढ़ रहा स्टॉक	कलेक्टर जिला अशोकनगर को लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी, अशोकनगर के पत्र क्र.719/खाद्य, दि..24.12.2021 के अनुसार कोरोना काल में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के निर्देशानुसार राशन वितरण पंजी द्वारा किया गया था। यह खाद्यान्न अभी भी पीओएस मशीन में प्रदर्शित हो रहा है जिससे हितग्राहियों की संख्या के मान से आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस समस्या से शासन/वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

12	06.02.2021	दैनिक पत्रिका समाचार, भोपाल दिनांक 20.01. .2021 जिला इंदौर	संकट में गरीबों का 80 लाख का राशन डकारा	कलेक्टर जिला इंदौर को लिखा गया	जिला आपूर्ति नियंत्रक, इंदौर के पत्र क्र. 1503, दिनांक 15.07.2021 के अनुसार कुल 10 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में पाई अनियमितता के कारण उनके प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर हितग्राहियों को अन्य उ.मू.दुकान से संलग्न किया गया है। उनके संचालनकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गयी है। आरोपियों से राशन सामग्री के प्रतिस्थापन/व्यपवर्तन की कुल वसूली योग्य राशि 7904479 में से 288997 रु. वसूली जाकर चालान के माध्यम से शासकीय मद में जमा करायी गयी है।
13	08.02.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भोपाल दिनांक 06.02. 2021	सहकारिता कर्मियों ने अनिश्चितकालीन के लिए की उचित मूल्य दुकान बंद।	आयुक्त, सहकारिता, भोपाल को लिखा गया।	आयुक्त, सहकारिता, भोपाल के पत्र क्रम. ांक 170 दि. 19.01.2022 अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गये थे परन्तु मा. सहकारिता मंत्री जी से चर्चा उपरांन्त हड़ताल स्थगित की गयी।
14	17.02.2021	म.प्र. लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल दिनांक 17.02. 2021 जिला पन्ना।	ग्राम कोटा गुजापुर पंचायत जरधोवा जिला पन्ना की बृद्ध महिलाओं को राशन न मिलने के संबंध में।	कलेक्टर, पन्ना को लिखा गया।	1. अपर कलेक्टर के पत्र क्र. 97 दिनांक 19. 01.22 द्वारा अवगत कराया गया कि पंचायत जरधोवा की वृद्ध महिलाओं को खाद्यान्न प्रदाय हो रहा है। 2.दूरभाष पर शिकायतकर्ता संस्था के कर्मचारी श्री यूसुफ बेग द्वारा दिनांक 01.03. 2021 को निराकरण होना बताया है।
15.	15.03.2021	दैनिक पत्रिका समाचार भोपाल दिनांक 13.03.. 2021	बंद छात्रावासों में कर डाली एक हजार क्विंटल राशन की सप्लाई के संबंध में।	कलेक्टर जिला रतलाम को लिखा गया	शिकायत का निराकरण कलेक्टर रतलाम के पत्र क्रमांक 703 दिनांक 30.04.2021 अनुसार शिकायत की जांच कराने पर भ्रामक एवं तथ्यहीन होना पायी गयी। अनुविभाग सैलना में मांग एवं आवश्कता अनुसार खाद्यान्न दुकानों में प्रदाय हुआ है। जनपद पंचायत बाजना में 03 उ.मू.दुकानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी है।

16	12.03.2021	दैनिक पत्रिका समाचार भोपाल दिनांक 11.03. .2021 जिला उमरिया	16 महीने मे 3 किलो वजन , जिन्दगी की जंग हारा बच्चा	कलेक्टर जिला शहडोल एवं उमरिया को लिखा गया	म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्र. 2030/2260/ 2021/50–2, दि. 19.07.2021 अनुसार विकासखण्ड उमरिया के ग्राम कोहका के बैगा परिवार का बालक साजन बैगा, जन्म से ही कुपोषित होने से बालक की उम्र 16 माह का होने पर भी वजन 2.200 किग्रा, बालक कुपोषित के साथ मानसिक विकलांग भी था। बच्चे के परिवार को आर्थिक सहायता रु. 10,000 दिलाई गयी। बैगा जाति का होने से परिवार को रु. 1000 प्रति माह दिये जा रहे है। तत्का. जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्रभार वापिस एवं सेक्टर पर्यवेक्षक को निलंबित किया गया।
17	22.04.2021	दैनिक पत्रिका समाचार भोपाल दिनांक 18.03. .2021जिला सतना	पीडीएस के राशन वितरण मे ले. टलतीफी, डेढ़ लाख परिवारों की थाली तक नहीं पहुंचा खाद्यान्न	कलेक्टर जिला सतना को लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक 672 दिनांक 07.01.22 अनुसार अप्रैल, 2021 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पात्र 367200 परिवारों, के 365733 हितग्राहियों, 99.60 प्रतिशत को बायोमैट्रिक सत्यापन उपरांत सामग्री उपलब्ध करायी गयी। जिले में अन्य प्रदेशों एवं जिलों के हितग्राहियों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से भी राशन उपलब्ध कराया जाता है।
18	08.06.2021	दैनिक भास्कर, भोपाल दिनांक 03.06.2021 जिला शिवपुरी	दो माह से पोषण आहार नहीं बंटा, 2 साल की बच्ची का वजन 4.70 किलो	कलेक्टर जिला शिवपुरी को लिखा गया	कलेक्टर शिवपुरी के पत्र क्रमांक 2886 /मबावि/2021 दिनांक 30.06.202 के अनुसार बालिका रजनी/राकेश आदिवासी की उम्र 01 वर्ष 06 माह है। बालिका को जनवरी, 2020 से टीएचआर आर.टी.ई प्रदाय किया गया।बालिका को बीसीजी, डीपीटी1, डीपीटी2, डीपीटी3 एवं खसरा निर्धारित समय में लगवाये गये। वजन मार्च, 2021 में 7.3 किग्रा था बाद में बच्ची को दस्त लगने से वजन कम हुआ। 05/21 को वजन 4.950 किग्रा था जो बढ़कर 6/21 को 5.400 किग्रा हुआं। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

19	17.6.2021	श्री अरविंद कुमार विश्वकर्मा आ. श्री सनत कुमार वि. ग्राम शितलहा, जनपद शितलहा जवा ब्लाक जिला रीवा	पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में।	कलेक्टर जिला रीवा को लिखा गया	जिला आपूर्ति नियंत्रक, रीवा के पत्र क्र. 05., दि.04.01.2022 के अनुसार हितग्राही अरविंद विश्वकर्मा की आईडी क्र. 34329501 बीपीएल कार्ड पर पात्रतापर्ची जारी कराये जाने हेतु सत्यापन हो चुका है किन्तु इनका नाम इनके पिता की परिवार आईडी में होने से रिजेक्ट हो गया है। इनकी अलग से पात्रता पर्ची जारी करने बाबत पुनः राशन मित्र पोर्टल पर सत्यापन कराने हेतु स्थानीय निकाय को लिखा गया है
20	01.07.2021	दैनिक पत्रिका समाचार, भोपाल दिनांक 01.07. 2021 जिला शिवपुरी	अफसरों के सामने 70 क्विंटल गेहूँ, चावल लूट ले गये ग्रामीण	कलेक्टर जिला शिवपुरी को लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी, शिवपुरी के पत्र क्र. 1479, दि.24.12.2021 के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान बारई की जांच में 91.57 क्विंटल गेहूँ विक्रेता द्वारा खुर्द–बुर्द करने के कारण दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर हितग्राहियों को अन्य दुकान से संलग्न किया गया।
21	08.07.2021	हरिभूमि समाचार, सीहोर दिनांक 6 एवं 07.07.2021	कैंसर पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ, पड़ोसी दे रहे राशन	कलेक्टर जिला सीहोर को लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी, सीहोर के पत्र क्र. 3748, दि.20.9.2021 के अनुसार कैंसर पीड़ित कालूराम सिंह/ विक्रम सिंह नाथ इंद्रा कालोनी आष्टा की परिवार आईडी 45704632 है। 03 सदस्यों की खाद्यान्न पात्रता पची जारी। हितग्राही ने माह सिंतबर, 2021 का खाद्यान्न प्राप्त किया।
22	20.07.2021	दैनिक पत्रिका समाचार, भोपाल दिनांक 20.07. 2021 जिला रायसेन	3 कि.मी. दूर से राशन लेने आई महिलांए, बंद मिली दुकान, थैले रखकर लगाई लाईन	कलेक्टर जिला रायसेन को लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी, रायसेन के पत्र क्र. 10., दि 05.01.2022 के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान तामोट के विक्रेता श्री मनोज चौहान को दो दुकानों का प्रभार है। दि.19.07.21 को मीडिया के माध्यम से सहायक आपूर्ति अधिकारी को शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर उ.मू.दुकान तामोट जाकर शिकायतकर्ताओं से मिले। शिकायतकर्ताओं को यह ज्ञात ही नहीं था कि उस दिन तामोट की दुकान खुलने का दिन नहीं है। विक्रेता दूसरी उ.मू.दुकान, इकलवाड़ा पर राशन वितरण कर रहा था, उसे बुलवाकर दुकान खुलवाकर शिकायतकर्ताओं को खाद्यान्न वितरित कराया गया।

23	26.07.2021	दैनिक भास्कर समाचार, भोपाल दिनांक 26.07. 2021 जिला रतलाम	गरीबों को बांटने भेजा इल्ली मिला 2600 मै.टन चॉवल	कलेक्टर जिला रतलाम को लिखा गया	कलेक्टर रतलाम के पत्र क्र.1218., दि.26.07. 2021 के अनुसार जबलपुर से चावल रेक दि. 17.7.2021 को जिले में प्राप्त हुई जिसमें चूरी निर्धारित मापदण्ड से अधिक होने, घुन व इल्लीयुक्त होने से उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय से रोका गया एवं प्राप्त चावल को बदलवाने हेतु शासन को लिखा गया।
24	12.08.2021	हरिभूमि समाचार, भोपाल दिनांक 11.08.2021 जिला भोपाल	आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को नहीं मिल रहा पोषण आहार. जिले के 1765 बच्चों में गंभीर कुपोषण के लक्षण	कलेक्टर जिला भोपाल को लिखा गया	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला भोपाल के पत्र क्र 3879., दि.08.12.2021 के अनुसार 06 माह से 03 वर्ष के 82311 बच्चों को टीएचआर तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष के 82026 बच्चों को रेडी टू ईट खाद्यान्न पोषण आहार के रुप माह नवंबर, 2021 में दिया गया। जिले में 1765 कुपोषित बच्चे, 241 गंभीर कुपोषित बच्चों का चिंहांकन क्षेत्रीय अमले द्वारा किया गया। इन्हे स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पोषण आहार का प्रबंध किया जा रहा है। 182 बच्चों को एनआरसी में भर्ती करवाया गया है। जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3012 पोषण वाटिका एवं हितग्राहियों के घरों में 5455 पोषण वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है। 535 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पानी की टंकियां उपलब्ध करवाई जा रही है।
25	14.09.2021	दैनिक पत्रिका समाचार, भोपाल दिनांक 13.09. 2021एवं 14. 09.2021 जिला शहडोल	अधिकारियों ने माना खराब हुई धान, मुख्यमंत्री को भेजी अधूरी रिपोर्ट	कलेक्टर जिला शहडोल को लिखा गया	जिला आपूर्ति नियंत्रक, शहडोल के पत्र क्रमांक 65 दिनांक 18.01.2022 अनुसार लालपुर हवाई पट्टी केप गोडाउन में दिनांक 1.11.2021 की स्थिति में 44 स्टेक में 92509 बोरी धान सही पाई गयी। छतवई ओपन केप गोदाम में दिनांक 2.11.21 की स्थिति में 20 स्टेकों में 60280 बोरी धान संग्रहित पाया गया। संग्रहित धान 2020–21 की बोरियों की संख्या रिकार्ड एवं भौतिक सत्यापन अनुसार सही पाई गई। बोरियों के गायब होने की खबर सत्य नहीं है।

26	14.09.2021	शिवपुरी भास्कर जिला शिवपुरी दिनांक 14.09. 2021 जिला शिवपुरी	3 साल के बच्चे का उम्र के हिसाब से आधा वजन, साफ हड्डियां दिख रहीं	कलेक्टर जिला शिवपुरी को लिखा गया	कलेक्टर शिवपुरी के पत्र क्र. 5891, दि. 29.09.2021 के अनुसार बालक सूर्यवंश बघेल की उम्र 26 माह होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लिये गये वजन में कम वजन होने, बीमार होने पर दि. 7.9.2020 को एनआरसी शिवपुरी में भर्ती कराया, तब उसका वजन 7.600 किग्रा था। 11.9.20 को वजन 8.350 किग्रा था, जब उसकी मां बच्चे को लेकर गांव चली गयी।बच्चे की मां एवं पिता द्वारा बच्चा बीमार होने पर 20.7.21 से 23.7.21 तक बच्चे का इलाज वात्सल्य अस्पताल, झांसी में कराया गया। बालक को समुचित पोषण आहार दिया गया एवं टीकाकरण भी कराया गया। 14.9.21 से अति कुपोषित उपचार हेतु एसएमटीयू ग्वालियर में भर्ती होकर उपचाररत है।
27	12.10.2021	दैनिक शिवपुरी भास्कर, शिवपुरी दिनांक 12.10. 2021 जिला शिवपुरी	01 साल की कुपोषित लक्ष्मी की मौत, ढाई साल का भाई भी कुपोषित।	कलेक्टर जिला शिवपुरी को लिखा गया	जिला कार्यक्रम अधिकारी, शिवपुरी के पत्र क्र. 8453., दि.27.12.2021 के अनुसार ग्राम रिझारी, कोलारस की बालिका लक्ष्मी पुत्री चन्द्रभान आदिवासी की दिनांक 10.10. 21 को मृत्यु उपरांत आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा सहरिया/आदिवासी को दी जाने वाली तात्कालिक सहायता राशि रुपये 5000 उसकी माता को दि. 11.10.21 को सीडीपीओ द्वारा दी गयी। प्रकाशित समाचार 05 हजार देकर पिता से टीम बोली मुंह बंद रख्ाना तथ्यहीन व असत्य पाई गई। बच्ची की मृत्यु झाड़फूंक कराने व इलाज समय पर न कराने से हुई। लक्ष्मी के भाई कृष्णा उम्र 2.5 वर्ष 11.10.21 को वजन 7.490 किग्रा होने से उसे 12.10.21 को एनआरसी शिवपुरी में भर्ती कराया गया है जिससे उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

vk;kx esa ntZ izdj.k ,oa muds fujkdj.k dh fLFkfr

jk"Vªh; [kk| lqj{kk vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 20 ds vUrxZr

jkT; [kk| vk;ksx ds le{k fopkjk/khu izdj.k

l-dz-	izdj.k dz-	izdj.k dh fo"k;oLrq	dh x;h dk;Zokgh
01	01/2020	मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग द्वारा दिनांक 15.10.19 को नीमच जिले की समीक्षा बैठक एवं मैदानी भ्रमण तथा विकास खण्ड जावद, जिला नीमच में आयोजित जनसुनवाई शिविर में श्रीमती चन्दाबाई पत्नी स्वर्गीय श्री कैलाश दास, ग्राम सरोदा, तह. जावद, जिला नीमच– आईडी क्रमांक 25248524, वार्ड क्रमांक 07 खाता क्रमांक 77– ने कहा कि उनका बीपीएल कार्ड बना है। पूर्व में पति–पत्नी दोनों को हर माह राशन प्राप्त होता था। उनके पति की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो गयी थी। पति की मृत्यु के बाद जब श्रीमती चन्दा बाई ने कार्ड में मुखिया का नाम सुधारकर अपना नाम लिखना चाहा तो उसका कार्ड ही बन्द हो गया। इस कारण से पिछले एक वर्ष से इस राशन कार्ड पर उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। उसके छोटे–छोटे बच्चे है। कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ है।	(1) श्रीमती चंदा बाई बीपीएल श्रेणी में नहीं पाई गयी। त्रुटिपूर्ण नाम जोड़ने के लिये पंचायत सचिव को चेतावनी दी गयी तथा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।
02	02/2020	मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अलीराजपुर जिले में 53 विद्यालयों में पिछले दो वर्षों में माह में पांच दिन या लगातार तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने की जानकारी प्रकाश में आई थी। आयोग के निर्देश पर सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अलीराजपुर द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कहा गया कि उनके द्वारा दोषी संस्था/व्यक्ति से रू. 1,62,354.00 (रू. एक लाख बासठ हजार तीन सौ चौवन मात्र) का खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूली कर लिया गया है और उक्त राशि हितग्राहियों के खाते में जमा करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।	(2) खाद्य आयोग के निर्देश पर दोषी संस्था/ व्यक्ति से रू. 1,62,354 खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूल किया जाकर हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा करा दिया गया है।

03	03 / 2020	जिला शिवपुरी की समीक्षा बैठक में यह शिकायत प्राप्त हुई कि बड़ोखरा गांव में पिछले तीन माह से अनाज नहीं बंट रहा है। विक्रेता लगातार गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन उसके विरुद्ध लिखित एवं मौखिक शिकायत करने पर भी आज तक खाद्य अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।	(3) प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन के साथ–साथ प्रभावित हितग्राहियों को पिछले तीन माह का राशन उपलब्ध कराते हुए दोषी व्यक्ति / संस्था से खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा उनके विरूद्ध अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी, शिवपुरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कलेक्टर स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।
04	04 / 2020	''साझा मंच'' संगठन द्वारा राज्य खाद्य आयोग के ध्यान में यह शिकायत लाई गई कि सतना जिले के मझगवां ब्लाक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पात्र 49 महिलाओं को उनकी हकदारी नहीं दिलाई गई है। पात्र 49 महिलाओं के आवेदन, आधार कार्ड नंबर और बैंक खाता का विवरण भी उपलब्ध कराया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सतना को प्रकरण की जांच कर हितग्राहियों को उनकी हकदारी दिलाने के लिए निर्देश भेजे गए थे, लेकिन पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।	(4) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सतना के अनुसार 49 में से 45 महिला आवेदकों को योजना का लाभ दिया गया है। शेष 04 आवेदकों द्वारा वांछित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने से भुगतान नहीं हो सका है।
05	05 / 2020	जिला बैतूल की समीक्षा बैठक में यह तथ्य जानकारी में आया था कि गरिमा स्व सहायता समूह, नसीराबाद, ब्लाक चिचोली द्वारा स्कूल के 150 बच्चों के लिये भोजन बनाया जाता है। उक्त संस्था को उचित मूल्य दुकान नसीराबाद से ग्राम नसीराबाद, बारंबाड़ी व दुधिया के विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन के लिए अगस्त, 2018 का गेहॅू अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहूं प्रदाय किया गया है, जबकि विक्रेता द्वारा संस्था को गेहूं उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।	(5) संस्था को जून, 18 एवं जुलाई, 18 का गेहॅू क्रमशः 171. 6, 363 किग्रा. गेहॅू व 28.6, 66 किग्रा. चावल प्रदाय किया गया। परिवहनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रु. 5000 अर्थदण्ड आरोपित किया गया। सेवा सह. संस्था के विक्रेता के विरुद्ध रु. 1000 अर्थदण्ड आरोपित कर विक्रेता पद से हटाया गया।

06	06/2020	मण्डला जिले में जनसुनवाई शिविर में श्री किशोर अग्रवाल, मोहगांव ने शिकायत की कि राशन सूची से 54 सम्पन्न लोगों का नाम, जिसमें कि उनका स्वयं का नाम शामिल है, काटने हेतु सूची तत्कालीन तहसीलदार को दी गई थी, लेकिन डेढ़ साल के बाद भी नाम नहीं हटाया गया। इसी प्रकार 68 ऐसे व्यक्ति जो कि मृत हो चुके हैं, उनके नाम भी सूची से हटाने के लिए तहसीलदार कार्यालय में लंबित है। इन मृत/अपात्र लोगों का नाम सूची से हटाया जाए। प्रकरण की जांच कर एम माह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही विवरण में कलेक्टर को निर्देशित किया गया था। पालन प्रतिवेदन में नायब तहसीलदार, मोहगांव द्वारा 93 अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने की जानकारी प्रस्तुत की गई।	(6) जिला आपूर्ति अधिकारी, मण्डला के पत्र दिनांक 14.4.20 अनुसार नायब तहसीलदार, मोहगांव, जिला मण्डला के आदेश दि. 07.03.2019 से 93 अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाया गया तथा एक व्यक्ति पात्र पाया गया।
07	07/2020	सूलगांव पंचायत में मध्यान्ह भोजन एवं आंगनवाड़ी में भोजन का कार्य गंभीर अनियमितता होने की शिकायत है। पिछले तीन वर्ष से सूलगांव क्षेत्र की आंगनवाड़ियों और विद्यालयों में नियमित रुप से नाश्ता एवं भोजन नहीं मिल रहा है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में इस संबंध में समाचार प्रकाशित हुआ था। वर्ष 2016 से आंगनवाड़ी केन्द्र में सांझा चूल्हा के माध्यम से भोजन वितरण नहीं किया जा रहा है। इसकी शिकायत होने पर पुरानी स्व सहायता समूह को बंद कर 01 जनवरी, 2020 को मॉ नर्मदा स्व सहायता समूह को भोजन बनाने का कार्य सौंपा गया। मॉ नर्मदा स्व सहायता समूह द्वारा भी अभी तक मात्र तीन बार भोजन दिया गया है। शिकायत के बाद भी स्व सहायता समूह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बच्चों को नियमित रुप से भोजन नहीं मिल रहा है।	(7) परियोजना अधि., निवाली के अनुसार शिकायत असत्य पाई गई। ग्राम पंचायत सुलगांव में स्व सहायता समूह द्वारा नियमित भोजन व नाश्ता बच्चों को दिया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बड़वानी की अनुशंसा पर शिकायत नस्तीबद्ध की गयी। 26.2.2021 को आदेशित।

izpkj&izlkj

- आयोग द्वारा प्रदेश में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी जिसका समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया गया। आयोग द्वारा जिले में तीनों विभागों – (खाद्य, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) – की योजनाओं की समीक्षा की गयी।

दैनिक भास्कर भिंड 05-10-2021

निर्देश • राज्य खाद्य आयोग के सदस्य खंडेलवाल ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए सुपरवाइजर से की वन- टू- वन चर्चा

बच्चे को आहार में क्या दिया जाना है, यह माताओं को बताना होगा

खाद्य आयोग की सदस्य सचिव ने किया राशन दुकानों का निरीक्षण

होशंगाबाद(आरएनएन)। म.प्र. राज्य खादय आयोग की सदस्य सचिव श्रीमति अल्का श्रीवास्तव (आई.ए.एस.) द्वारा गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम जासलपुर एवं निमसाडिया की उचित मूल्य दुकान, आंगनवाडी एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करते हुये दुकान में भंडारित खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं वितरित किये जा रहे 02 माह के एकमुस्त राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों से संवाद किया गया। जिसमें हितग्राही राजू बरखने एवं लक्ष्मीनारायण चौरे द्वारा 02 माह का एकमुस्त राशन प्राप्त होना बताया गया। दुकान पर आवश्यक सूचना बोर्ड प्रदर्शित पाये गये राशन दुकान से राशन वितरण व्यवस्था ठीक पाई गई तथा आँगनवाडी केन्द्र के निरीक्षण में व्यवस्था ठीक पाई गई स्कूल में मध्यान्ह भोजन का वितरण मौके पर किया जा रहा था। जिसका भी निरीक्षण एवं रसोईया एवं स्कूल बच्चों से संवाद किया गया ।

आंगनबाड़ी और स्कूल का किया निरीक्षण

दीदियों से की चर्चा

ग्राहकों से जानकारी ली

खाद्यान्न वितरण की समीक्षा

vk;kx dh ftyk Lrjh; cBd ,o fujh{k.k

- राज्य खाद्य आयोग ने निश्चय किया कि योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर बैठकें एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण के पीछे आयोग के निम्न उद्देश्य थेः–

(अ) अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना एवं उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाना।

(ब) कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में जन प्रतिनिधियों का अब तक का अनुभव साझा करना तथा सुझाव प्राप्त करना,

(स) जिला प्रशासन के अधिकारी तथा निकायों के प्रतिनिधि, जिन्हें पात्र हितग्राही को चिन्हित करने, लाभ दिलाने, शिकायत का निराकरण करने एवं योजनाओं की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया हैं, के द्वारा कितनी सक्रियता से कार्य सम्पादन किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना,

(द) धरातल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राशन विक्रेता एवं महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आंकलन करना, तथा

(न) आमजन एवं हितग्राहियों की संतुष्टि, जो कि योजनाओं की सफलता को नापने की सही कसौटी है, की स्थिति ज्ञात करना।

- भ्रमण में जिले के माननीय सांसद, माननीय विधायक या उनके प्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष, स्थानीय पार्षद, स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि एवं आम नागरिकों के साथ उनकी शिकायत एवं सुझाव प्राप्त करने के लिये बैठकें आयोजित की गई। जिले के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं तीनों विभागों के जिला अधिकारियों तथा सहयोगी निगम मण्डल के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। क्षेत्र के हितग्राहियों के साथ चर्चा की गई एवं संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझाव, विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभाग प्रमुख एवं जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये।

Ok"k 2021&22 e jkT; [kk| vk;kx }kjk vk;kftr leh{kk cBd ,o fd, x, Hke.k ,o fujh{k.k

- वर्ष 2021–22 में (31 जनवरी, 2022 तक) राज्य खाद्य आयोग द्वारा प्रदेश के 13 जिलों का भ्रमण किया गया। आयोग द्वारा इस अवधि में जिन जिलों का भ्रमण किया गया, वे जिले निम्नानुसार हैः–
- उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, मुरैना, भिण्ड, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ व भोपाल, होशंगाबाद एवं हरदा।
- प्रत्येक जिले में एक दिवसीय निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भ्रमण में दो चरणों में चर्चा एवं बैठक आयोजित की गई। प्रथम चरण में स्थानीय सांसद/विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सरपंच, महिला सरपंच, नगरपालिका के अध्यक्ष, पार्षद, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि, स्व सहायता समूह के प्रतिनिधि एवं हितग्राहियों के साथ बैठक आयोजित की गई एवं उनके सुझाव प्राप्त किए गए। द्वितीय चरण में कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के साथ–साथ खाद्य, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य भण्डार गृह निगम के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। तत्पश्चात् भ्रमण में उ.मू.दु., इश्यू सेन्टर/भण्डारगृह, पोषण पुनर्वास केन्द्र का निरीक्षण किया गया।
- जिलों में पाई गई स्थिति एवं सुधारात्मक उपाय के बारे में आयोग के सुझाव एवं निर्देश को समावेश कर विस्तृत कार्यवाही विवरण संबंधित जिला अधिकारियों एवं राज्य शासन को भेजा गया है। निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकों का विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :–

ftyk mTt|u

1-1- yf{kr lko|tfud forj.k i|.kkyh

आयोग द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गयी । समीक्षा में शहरी क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित करने वाले सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत वितरित खाद्यान्न सामग्री का कमीशन, स्व–सहायता समूहों का एरियर कमीशन का लंबित भुगतान करने तथा प्रति माह सामग्री एक साथ समय सीमा में पहुंचाने एवं विगत एक वर्ष से सामग्री विलंब से पहुंचाने पर संबंधित परिवहनकर्ता पर अनुबंध की शर्तो अनुसार पेनाल्टी आदि की कार्यवाही हेतु आयोग द्वारा जिला प्रबन्धक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, उज्जैन को निर्देश दिये गये। आयोग ने सहकारिता विभाग को प्रत्येक उ.मू.दुकान के लिये पृथक विक्रेता रखने एवं तुलावटी, दुकानों पर आवश्यक सूचना बोर्ड, साफ–सफाई, रंग–रोगन आदि आवश्यक व्यय का भुगतान संबंधित सस्था को प्राप्त कमीशन में से संस्था प्रबंधक को निर्देश देने हेतु निर्देशित किया।

1.2 जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने पर उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार खाद्यान्न सामग्री प्राप्त होने की जानकारी दी गयी।

1.3 आयोग ने शक्कर की 50 किलोग्राम की बोरी में भरती के स्थान पर 25–30 किलोग्राम की बोरी में भरती कराने का सुझाव दिया।

आयोग द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण, जिला उज्जैन

ftyk enlkj

2-1 yf{kr lkoltfud forj.k i.kkyh &

आयोग ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा में कहा कि जिला स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय सर्तकता समितियों की नियमित बैठकें कराई जावें। उचित मूल्य दुकान की निरीक्षण पुस्तिका में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा टीप अंकित की जावे। पा़त्र परिवारों में से जो परिवार या सदस्य बाहर चले गये है, मृत्यु हो गई है ऐसे सदस्यो के नाम पात्रतापर्ची मे से कम किये जावे तथा नाम जोडने एवं काटने की प्रक्रिया को सतत जारी रखी जावे। उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को गैस के उपयोग के बारे में जागरूकता लाई जावे। इसमें आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सरपंच की भी मदद ली जा सकती है तथा ग्रामीण क्षेत्रो में गैस की उपलब्धता सुगम रखी जावें। जिले में उचित मूल्य दुकान विहीन पंचायत में उ.मू.दुकान खोलने की कार्यवाही की जावे। ऐसे पात्र परिवार जो लगातार चार–पांच माह से राशन प्राप्त नही कर रहे है, उनका सत्यापन करवाया जावे। एक उ.मू.दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे। खाद्यान्न प्रदाय करने के पूर्व उसकी गुणवत्ता का परीक्षण कराया जावे।

2-2 ijd ik"k.k vkgkj dk;de &

आयोग द्वारा संचालित आंगनवाडी केन्द्रों की चर्चा करते हुए समस्त आंगनवाडी केन्द्रो पर विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये। आगामी 03 माह में समस्त आंगनवाडी केन्द्रों पर जल जीवन मिशन अर्न्तगत नल–जल योजना के माध्यम से पेयजल सुविधा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समन्वय से किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। आयोग को महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि मंदसौर जिले मे कोविड–19 फेस टू मे जिले के आंगनवाडी केन्द्र बन्द नही किये गये थे। इस दौरान गर्म नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था संचालित रही, इसलिए जिले में रेडी टू ईट प्रदाय नही किया गया। आयोग ने टेक होम राशन एवं साझा चुल्हा योजनान्तर्गत पोषण आहार समस्त पात्र हितग्राहियों को वितरित करने के निर्देश दिये। समीक्षा में पाया गया कि मंदसौर जिले में मध्यम श्रेणी के 2261 एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या 289 है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में माह सितम्बर, 2021 तक के लक्ष्य के विरूद्व 73 प्रतिशत उपलब्धी अर्जित की जा चुकी है तथा प्रदेश में जिला वर्तमान में 11 वें स्थान पर है।

2-3 i/kkue=h ik"k.k 'kfDr fuek.k ¼e/;kUg Hkktu½ ;ktuk &

मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करने पर स्थिति सतोषजनक पायी गयी।

आयोग द्वारा समीक्षा बैठक, जिला मंदसौर

f t yk uhep

3-1- yf{kr lkotfud forj.k i.kkyh&

समीक्षा में पाया गया कि जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में 84 प्रतिशत परिवार/जनसंख्या का कवरेज है। इस वर्ग के छूटे हुए परिवारों की पहचान कर योजना का लाभ दिलाने की कार्यवाही प्रचलित है। आयोग ने हितग्राही के आधार मिसमैच एवं अपात्र परिवारों को अभियान चलाकर सही कराने के निर्देश दिये। निगरानी समिति की निर्धारित समय पर बैठकें कराने के निर्देश दिये गये। दुकान विहीन पंचायतों में नवीन दुकान खोलने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

3-2- ijd ik"k.k vkgkj dk;de &

समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 1112 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिले में 06 माह से 03 वर्ष तक के 32409 बच्चे, 03 वर्ष से 06 माह तक के 36618 बच्चे एवं गर्भवती व धात्री माताएं 13337 दर्ज हैं। जन सहयोग से कुपोषित बच्चों को उचित पौष्टिक आहार प्रदाय करने का सुझाव दिया गया। जिले की 03 जर्जर एवं असुरक्षित आंगनवाड़ी भवनों को अन्यत्र भवनों में स्थानांतरित कर संचालित की जा रही है। जिले के 92 गॉवों में आवश्यक जनसंख्या नहीं होने के कारण इन्हें निकट के आंगनवाड़ी केन्द्रों से जोड़ा जाकर पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। 612 विद्युत विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में जन सहयोग से विद्युत व्यवस्था कराने एवं दरियों की पूर्ति कराने का सुझाव दिया गया।

3-3- i/kkue=h ik"k.k 'kfDr fuek.k ¼e/;kUg Hkkstu½ ;kstuk dk;de &

जिले की समीक्षा में जानकारी दी गयी कि कोरोना के कारण शालाओं में मध्यान्ह भोजन बंद है। स्व सहायता समूह एवं शाला प्रबंधन समिति द्वारा बच्चों को घर–घर जाकर सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन में प्राप्त आवंटन को शीघ्र प्रदाय के निर्देश दिये गये।

f t yk jryke

4-1 yf{kr lkotfud forj.k i.kkyh

आयोग ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरित होना पाया। उचित मूल्य दुकानों का संचालन संतोषप्रद पाया गया। समीक्षा बैठक में शेष पात्र हितग्राहियों की आधार सीडिंग कराने, विगत 06 माह से राशन नहीं लेने वाले परिवारों की जांच कराने, पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची जारी करने, सतर्कता समितियों की बैठक कराने, खाद्यान्न प्रदाय होने के पूर्व गुणवत्ता का परीक्षण कराने के निर्देश दिये गये।

4-2 ijd ik"k.k vkgkj dk;de &

जिले में आंगनवाड़ी के संचालन पर आयोग ने संतोष व्यक्त किया। जिले की 1134 आंगनवाड़ी केन्द्रो पर विद्युत व्यवस्था कराने, मध्यम कुपोषित बच्चों की श्रेणी में सुधार करने, अधिकारियों द्वारा चिन्हित हितग्राहियों से नियमित गृह भेंट कर जीवंत सम्पर्क स्थापित करने के निर्देश दिये गये।

4-3 e/;kUg Hkkstu ;kstuk

जिले के मध्यान्ह भोजन प्रभारी को मध्यान्ह भोजन योजना व्यवस्था की सतत् मॉनीटरिंग करने के निर्देश आयोग द्वारा दिये गये।

ftyk eqjSuk

5-1 yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जिले की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करने पर आयोग द्वारा जिला स्तरीय सतर्कता समितियों की नियमित बैठकें कराने, 109 दुकानविहीन पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने की कार्यवाही करने, उचित मूल्य दुकान को खाद्यान्न प्रदाय से पूर्व गुणवत्ता परीक्षण कराने, अलाभान्वित पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची जारी कर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

5-2 iwjd iks"k.k vkgkj dk;Zde &

महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित पूरक पोषण आहार की समीक्षा करते हुए आयोग द्वारा बच्चों को वितरित होने वाले सत्तू की गुणवत्ता में सुधार करने, बच्चों को कुपोषण से बचाव हेतु गर्भवती/धात्री महिलाओं की काउंसिलिंग करने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ हितग्राहियों को समय पर देने के संबंध में निर्देश दिये गये।

5-3 iz/kkuea=h iks"k.k 'kfDr fuek.k ¼e/;kUg Hkkstu½ ;kstuk &

मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए आयोग द्वारा शाला के बच्चों को घर–घर जाकर निगरानी समितियों के मार्गदर्शन में निर्धारित मात्रा में तौल कराकर सूखा राशन वितरित करने, रसोईयों को मानदेय समय पर दिलाने, प्राप्त शिकायतों को समय सीमा में करने के निर्देश दिये गये।

ftyk fHk.M

6-1 yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh &

आयोग द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का रैण्डम निरीक्षण करने पर स्थिति संतोषप्रद पायी गयी। आयोग ने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने, गठित निगरानी समितियों की निर्धारित समय में बैठक कराने, उचित मूल्य दुकानों की नियमित जांच कर निरीक्षण पुस्तिका में टीप अंकित करने, उ.मू.दुकानों पर निर्धारित बोर्ड लगाने, निगरानी समिति के सदस्यों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिये।

6-2 iwjd iks"k.k vkgkj dk;Zde &

आयोग द्वारा जिले में चल रही आंगनवाड़ी के संबंध में जानकारी ली गयी। आयोग ने बच्चों को सूखा नाश्ता स्थानीय तौर पर बदल–बदल कर देने का सुझाव दिया। आयोग ने सुपरवाईजर्स को कहा कि वे कुपोषण को दूर करने के लिये संवाद करें एवं बच्चों की माताओं को उचित सलाह एवं

समझाईस देवें। गर्भवती माताओं की काउंसिलिंग की जावे ताकि उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उचित लाभ मिल सके।

6-3 i/kkue=h ik"k.k 'kfDr fuek.k ¼e/;kUg Hkkstu½ ;kstuk

मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए आयोग ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गांवों में रह रहे निराश्रित व्यक्तियों को उसी गांव की शालाओं में मध्यान्ह भोजन दिया जावे। स्थानीय स्तर पर सूखा नाश्ता– चिक्की, मूंगफली, भुना चना आदि को भी सम्मिलित किया जावे। आयोग ने शालाओं में अच्छी किस्म का खाद्यान्न प्रदाय करने के निर्देश दिये। ऐसी शालाएं जहां गैस कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें गैस कनेक्शन दिलाने की कार्यवाही की जावे।

खाद्य आयोग की समीक्षा बैठक, जिला भिण्ड

ftyk fofn'kk

7-1 yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh &

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में आधारयुक्त परिवारों की शहरी संख्या 44045 एवं ग्रामीण संख्या 175321 है। जिले की शहरी जनसंख्या 339618 एवं ग्रामीण जनसंख्या 1119257 है जिसका शहरी कवरेज 58.71 प्रतिशत तथा ग्रामीण कवरेज 70 प्रतिशत है। जिले में अन्त्योदय 21705 व प्राथमिकता श्रेणी के परिवार 197676 कुल 219381 परिवार दर्ज है। दर्ज सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। खाद्य आयोग ने इस स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। माह सितंबर, 21 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत 95 प्रतिशत अर्थात 208410 परिवारों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। जिला स्तरीय निगरानी समिति की

बैठक निरंक होने के संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष न होने से बैठक आहूत नहीं की गई। विकास खण्ड स्तर पर 05 एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर 980 बैठकें हुई हैं। बैठक नियमित रूप से कराये जाने हेतु संबंधितो को निर्देशित किया गया। जिले में संचालित 545 उ.मू.दुकानों में से केवल 110 निरीक्षण किया जाना पाया गया। जिले में 9285 परिवारों ने माह में सामग्री प्राप्त नहीं किया है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि इन परिवारों की जांच करा ली जावे। ये परिवार यदि अपात्र पाये जाते हैं तो उनकी नियमानुसार पात्रता निरस्त की जावे। जिले में 56 विक्रेता ऐसे हैं जो दो दुकान संचालित करते है। आयोग ने कहा कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुल सके। जिला शिकायत निवारण अधिकारी से संबधित शिकायतों के संबंध में सभी विभागो को अपनी–अपनी शिकायतों को दर्ज कर निराकरण हेतु निर्देशित किया गया ।

7-2- i/kkue=h iks"k.k 'kfDr fuek.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;de %&

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्राथमिक शाला 1913 में 79044 एवं माध्यमिक शाला 831 में 53695 छात्र/छात्राएं दर्ज हैं। प्रति छात्र क्रमशः 100 एवं 150 ग्राम के मान से 9180.54 क्विंटल व 6120.36 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन हुआ है। खाद्यान्न उ.मू. दुकान पर प्रदाय होने पर विद्यार्थियों को वितरित करा दिया जावेगा। आयोग ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधार्थियो को सामग्री का शीघ्र वितरण कराया जावे। समीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 20 से मार्च 21 तक प्राथमिक शाला के 5557 छात्र एवं माध्यमिक शाला के 3705 छात्रों के खाते में राशि जमा नहीं हुई है। इस संबंध में आयोग को बताया गया कि एक ही अभिभावक के दो या दो से अधिक बच्चे होने पर एक ही खाता होने से डुप्लीकेसी के कारण खाते फेल्ड हुये जिन्हें बीआरसी स्तर पर अद्यतन किया जा रहा है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित मॉनिटरिंग द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये। आयोग को जानकारी दी गई कि राज्य स्तर से राशि जारी होने पर स्वतः ही पहुँच जावेगी, के संबंध में निर्देशित किया कि उक्त कार्य को समय–सीमा बैठक में शामिल किया जाये ताकि राशि संबंधित के खाते में शीघ्र जमा हो सके । नोडल अधिकारी स्तर पर 09 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनका निराकरण किया जा चुका है।

7-3- ijd iks"k.k vkgkj dk;de &

जिले की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 577 पंचायतों में 1529 गांव हैं जिनमें 2371 आंगनवाड़ी संचालित हैं। जिले में 780 आंगनवाड़ी किराये के भवन में चल रही है। जिले में 06 माह से 03 वर्ष तक के 66351 बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के 68816 बच्चे, 13871 गर्भवती व 1208 धात्री माताएं दर्ज है। 93023 हितग्राहियों को 301273 पैकेट टीएचआर का वितरण किया गया है। जिलें में 68816 बच्चों को 247738 किलोग्राम सत्तू का वितरण एक माह में किया गया है। जिले में पंजीकृत 125371 बच्चों में से मध्यम कुपोषित 2254, अति कुपोषित 417 बच्चे हैं जिनमें से 209 बच्चों को एनआरसी भेजा गया है। जिले में दर्ज 49333 पात्र गर्भवती माताओं में से 48250 को प्रथम किश्त, 48329 को द्वितीय किश्त व 39529 को तृतीय किश्त प्राप्त हो चुकी है।

खाद्य आयोग द्वारा समीक्षा बैठक, जिला विदिशा

ftyk lhgkj

8-1 yf{kr lkoltfud forj.k i.kkyh &

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में आधारयुक्त परिवारों की शहरी संख्या 23968 एवं ग्रामीण संख्या 151411 है। जिले की शहरी जनसंख्या 248462 एवं ग्रामीण जनसंख्या 1062870 है जिसका शहरी कवरेज 46.32 प्रतिशत तथा ग्रामीण कवरेज 72.24 प्रतिशत है। जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ। विकास खण्ड स्तर पर 01 एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर 299 बैठकें हुई हैं। आयोग द्वारा निगरानी समिति का गठन करने एवं बैठक नियमित रूप से कराये जाने हेतु संबंधितो को निर्देशित किया गया। जिले में संचालित 375 उ.मू.दुकानों में से केवल 63 निरीक्षण किया जाना पाया गया। जिले में माह अगस्त मे 14925 परिवारों ने माह में सामगी प्राप्त नहीं किया है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि इन परिवारों की जांच करा ली जावे। ये परिवार यदि अपात्र पाये जाते हैं तो नियमानुसार उनकी पात्रता निरस्त की जावे। जिले में 79 विक्रेता दो एवं 12 विक्रेता तीन उ0मू0 दुकान संचालित करते है। आयोग ने कहा कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुल सके। नोडल अधिकारी स्तर पर एक भी शिकायत दर्ज नहीं है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी स्तर पर 15 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें से 11 शिकायतें निराकृत एवं 04 शिकायतें लंबित हैं। आयोग ने लंबित शिकायतों को समय–सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये।

8-2 iljd ik"k.k vkgkj dk;ldle –

जिले की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 497 पंचायतों में 1154 गांव हैं जिनमें 1415 आंगनवाड़ी संचालित हैं। 25 आंगनवाड़ी जर्जर एवं असुरक्षित भवनों में संचालित हो रही है। 62 ग्रामों में आंगनवाड़ी संचालित नहीं हैं। आयोग ने जर्जर भवनों को स्थानीय स्तर पर मरम्मत करवाने तथा आंगनवाड़ी विहीन ग्रामों में आंगनवाड़ी संचालित कराने का सुझाव दिया। जिले में 06 माह से 03 वर्ष तक के 62356 बच्चे, 03 से 06 वर्ष तक के 66035 बच्चे, 11815 गर्भवती व 10238 धात्री माताएं दर्ज है। 84409 हितग्राहियों को 337636 पैकेट टीएचआर का वितरण किया गया है। जिलें में 66035 बच्चों को 9905.25 किलोग्राम दलिया का वितरण किया गया है। जिले में 0–5 वर्ष के पंजीकृत 1,18,900 बच्चों में से मध्यम कुपोषित 1538, अति कुपोषित 318 बच्चे हैं जिनमें से 437 बच्चों को एनआरसी भेजा गया है। जिले में दर्ज 4717 पात्र गर्भवती माताओं में से 4717 को प्रथम किश्त, 4046 को द्वितीय किश्त व 3134 को तृतीय किश्त प्राप्त हो चुकी है। आयोग ने नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी स्तर पर शिकायत पंजीकृत कर निराकरण करने के निर्देश दिये।

8-3 i/kkue=h ik"k.k 'kfDr fuekl.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;ldle &

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्राथमिक शाला 1338 में 64274 एवं माध्यमिक शाला 673 में 39718 छात्र/छात्राएं दर्ज हैं। प्रति छात्र क्रमशः 100 एवं 150 ग्राम के मान से 2452 क्विंटल व 2344.69 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण हुआ है। आयोग ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों को अवितरित सामग्री का शीघ्र वितरण कराया जावे। नोडल अधिकारी/जिला शिकायत निवारण अधिकारी स्तर पर 09 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनका निराकरण किया जा चुका है।

ftyk jk;lu

9-1 yf{kr lkoltfud forj.k i.kkyh &

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में आधारयुक्त परिवारों की शहरी संख्या 42084 एवं ग्रामीण संख्या 177112 है। जिले की शहरी जनसंख्या 303425 एवं ग्रामीण जनसंख्या 1028172 है जिसका शहरी कवरेज 58.13 प्रतिशत तथा ग्रामीण कवरेज 71.53 प्रतिशत है। जिले में शहरी 356 एवं ग्रामीण 1493 परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इन परिवारों को पोर्टल पर ऑनलाईन सेंक्शन किया जा चुका है। विकास खण्ड स्तर पर 02 एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर 1086 बैठकें हुई हैं। बैठक नियमित रूप से कराये जाने हेतु संबंधितो को निर्देशित किया गया। जिले में संचालित 543 उ.मू.दुकानों में से केवल 110 निरीक्षण किया जाना पाया गया। जिले में 12959 परिवारों ने माह में सामगी प्राप्त नहीं किया। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि इन परिवारों की जांच करा ली जावे। ये परिवार यदि अपात्र पाये जाते हैं तो नियमानुसार उनकी पात्रता निरस्त की जावे। जिले में 27 विक्रेता दो दुकान एवं 02 विक्रेता तीन उ.मू.दुकानें संचालित करते है। आयोग ने कहा कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुल सके।

9-2 i/kkue=h ik"k.k 'kfDr fuekl.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;ldze &

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्राथमिक शाला 1900 में 71432 एवं माध्यमिक शाला 654 में 45907 छात्र/छात्राएं दर्ज हैं। प्रति छात्र क्रमशः 100 एवं 150 ग्राम के मान से 3483.12 क्विंटल व 3317.20 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण हुआ है। आयोग ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों को अवितरित सामग्री का वितरण शीघ्र कराया जावे। समीक्षा में पाया गया कि 122857 छात्र/छात्राओं के खाते में रु 215.16 लाख राशि जमा कराई गई है। आयोग द्वारा नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी स्तर पर प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत कर समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

9-3 iwjd ik"k.k vkgkj dk;ldze &

जिले की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 494 पंचायतों में 1593 गांव हैं जिनमें 1858 आंगनवाड़ी संचालित हैं। जिले में 149 आंगनवाड़ी जर्जर एवं असुरक्षित भवनों में चल रही है। आयोग ने कहा कि इन भवनों को स्थानीय स्तर पर मरम्मत करवाने का प्रयास किया जावे। जिले में 06 माह से 03 वर्ष तक के 59933 बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के 59938 बच्चे, 13063 गर्भवती व 12181 धात्री माताएं दर्ज है। 06 माह से 03 वर्ष तक की आयु के बच्चों को हलवा खिचड़ी प्रति मंगलवार 700 ग्राम के पैकेट में तथा गर्भवती व धात्री माताओं को खिचड़ी सोया बर्फी आटा बेसन लडडू 600 ग्राम प्रति हितग्राही प्रति मंगलवार प्रदाय किया जाता है। जिले में पंजीकृत 110170 बच्चों में से मध्यम कुपोषित 6437, अति कुपोषित 217 बच्चे हैं जिनमें से 43 बच्चों को एनआरसी भेजा गया है। जिले में दर्ज 13063 पात्र गर्भवती माताओं में से 3576 को प्रथम किश्त, 557 को द्वितीय किश्त व 1491 को तृतीय किश्त प्राप्त हो चुकी है।

ftyk jktx<+

10-1 yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh&

जिले की ग्रामीण जनसंख्या 1401830 का कवरेज प्रतिशत 67.18 एवं शहरी जनसंख्या 293853 का कवरेज प्रतिशत 61.24 है। अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों का कवरेज प्रतिशत शहरी 12.75 एवं ग्रामीण 11.41 है। जिले में अलाभान्वित शहरी 17 एवं ग्रामीण 190 परिवार हैं। जिले में जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं 06 विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति गठित हैं परन्तु बैठकें नहीं हो रही हैं। उचित मूल्य दुकान स्तरीय 611 निगरानी समिति में से 590 निगरानी समितियों की बैठक हुई है। जिले में संचालित 611 उचित मूल्य दुकानों में से केवल 53 दुकानों के निरीक्षण की जानकारी दी गई है जो अत्यंत ही कम है। माह अगस्त 2021 में 21563 परिवारों द्वारा उचित मूल्य दुकान से सामग्री प्राप्त नहीं करने की जानकारी दी गई है। आयोग का सुझाव है कि ऐसे परिवारों की जांच कराई जाकर अपात्र परिवारों को हटाया जावे तथा पात्र परिवारों के नाम सूची में जोड़ा जावे। जिले में 14 विक्रेता ऐसे हैं जो 02 दुकानें संचालित कर रहे हैं। आयोग का सुझाव है कि 01 विक्रेता को 01 दुकान संचालित करने की जवाबदारी दी जावे। जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत हितग्राही को पीडीएस खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 कि.लो

खाद्यान्न एवं 01 किलो दाल प्रति माह प्रति परिवार प्रदाय किया गया। माह मई 2021 से नवम्बर 2021 तक पीओएस मशीन से कुल 26510.512 खाद्यान्न का वितरण उक्त योजनांतर्गत दिया जा चुका है।

10-2 iwjd iks"k.k vkgkj dk;Øe&

महिला एवं बाल विकास विभाग की पूरक पोषण आहार कार्यक्रम की समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में कुल 622 पंचायतें, 1673 ग्राम हैं। जिले में कुल 2456 आंगनवाड़ी संचालित हैं। जिले में 217 आंगनवाड़ी विहीन ग्राम हैं। जिले में 06 माह से 03 वर्ष के 72993 बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष के 75381 बच्चे आंगनवाड़ी में दर्ज हैं। इसी प्रकार 15770 गर्भवती, 14101 धात्री महिलायें दर्ज हैं। जिले में 339817 टीएचआर के पेकेट वितरित किये गये। जिले में 03 से 06 वर्ष तक के 62155 बच्चों को 1340 कि.ग्रा. खिचड़ा रेडी टू ईट के तहत वितरित किया गया। 13226 बच्चे ग्राम में नहीं होने अथवा परिवार द्वारा खिचड़ा लेने से मना करने पर योजना लाभ नहीं लिया। जिले में कुल 137605 पंजीकृत बच्चों में से 8397 मध्यम कुपोषित, 881 अतिकुपोषित, 418 एनआरसी में भेजे गये बच्चे पाये गये। जिले में 756 बच्चों को गोद लिया जाना बताया गया। जिले में कुल पात्र गर्भवती 57904 माताओं में से 43480 माताओं को प्रति किश्त तक की राशि प्राप्त हो चुकी है। जिले में पोषण आहार के अंतर्गत नोडल अधिकारी/जिला शिकायत निवारण अधिकारी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने की जानकारी दी गई।

10-3 i/kkueU=h iks"k.k 'kfDr fuekZ.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;Øe&

मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में 1923 प्राथमिक एवं 759 माध्यमिक शालायें संचालित हैं इनमें प्राथमिक शाला में 83967, माध्यमिक शाला में 48356 छात्र–छात्रायें दर्ज हैं, 100 ग्राम प्रति छात्र, प्रतिमाह प्राथमिक शाला के छात्र को तथा 150 ग्राम प्रति छात्र, प्रतिमाह माध्यमिक शाला के छात्र को प्राप्त हो रहा है। माह अप्रैल 2021 का खाद्यान्न छात्र–छात्राओं को पात्रता अनुसार वितरण किया जा चुका है। माह जून 2021 से अगस्त 2021 तक के खाद्यान्न के वितरण की कार्यवाही प्रचलित है। जिले में दर्ज छात्र–छात्राओं को प्राथमिक शाला के छात्र को 4.97 रूपये प्रति छात्र, माध्यमिक शाला के छात्र को प्रति छात्र 7.49 रूपये के मान से भोजन पकाने की राशि मार्च 2021 तक उनके खाते में सीधे जमा कराई गयी है। माह अप्रैल 2021 से अभी तक की राशि के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है। जिले में नोडल अधिकारी स्तर पर प्राप्त चार शिकायतों में से 03 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। कोविड–19 अंतर्गत शासन स्तर से माह अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक की 110 दिवस की राशि सीधे छात्रों के खातों में जमा कराई गयी है। पूर्व वर्ष भोजन पकाने की राशि के समतुल्य सूखा राशन के रूप में दाल एवं तेल के पेकेट वितरित किये गए हैं।

खाद्य आयोग द्वारा समीक्षा बैठक, जिला राजगढ़

ftyk Hkksiky

11-1 yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh &

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में आधारयुक्त परिवारों की शहरी संख्या 240000 एवं ग्रामीण संख्या 70000 है। जिले की शहरी जनसंख्या 1798218 एवं ग्रामीण जनसंख्या 454010 है जिसका शहरी कवरेज 57.04 प्रतिशत तथा ग्रामीण कवरेज 66.64 प्रतिशत है। माह नवंबर,, 21 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत 94.45 प्रतिशत अर्थात 308600 परिवारों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। जिला स्तरीय निगरानी समिति की 01 बैठक, विकास खण्ड स्तरी निगरानी समिति की 02 बैठक तथा उ.मू.दुकान स्तरीय निगरानी समिति की 440 बैठक हुई है। बैठक नियमित रूप से कराये जाने हेतु संबंधितो को निर्देशित किया गया। जिले में संचालित 447 उ.मू.दुकानों में से 205 निरीक्षण किया जाना पाया गया। निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर 16 शा.उ.मू. दुकानों को निलंबित किया जाकर 04 दुकानों के विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी। आयोग ने इस पर संतोष व्यक्त किया। जिले में 13679 परिवारों ने माह में सामग्री प्राप्त नहीं किया है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि इन परिवारों की जांच करा ली जावे। ये परिवार यदि अपात्र पाये जाते हैं तो नियमानुसार उनकी पात्रता निरस्त की जावे। जिले में 52 विक्रेता दो दुकान एवं 09 विक्रेता 03 दुकानें संचालित करते है। आयोग ने कहा कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुल सके।

11-2- iz/kkuea=h iks"k.k 'kfDr fuekZ.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;Zdze ½&

11.2.1. जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में प्राथमिक शाला 1128 हैं जिसमें 52699 बच्चे दर्ज हैं एवं माध्यमिक शाला 607 हैं जिसमें 35378 छात्र/छात्राएं दर्ज हैं। प्रति छात्र क्रमशः 100 एवं 150 ग्राम के मान से 9759.80 क्विंटल व 8079.69 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन हुआ है। माह नवंबर, 2021 का खाद्यान्न उ.मू. दुकान पर प्रदाय होने पर विद्यार्थियों को वितरित करा दिया जावेगा। आयोग ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों को निर्धारित मात्रा में भोजन दिया जावे एवं सामग्री का शीघ्र वितरण कराया जावे। विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि नवंबर, 2020 से अगस्त, 2021 तक छात्रों को भोजन पकाने की राशि के समतुल्य साबुत मूंग का वितरण किया जावेगा। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित मॉनिटरिंग द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये। जिला शिकायत निवारण अधिकारी स्तर पर 12 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 01 निराकृत, शेष 11 शिकायतें निराकरण हेतु लंबित बताई गयी। आयोग ने इन शिकायतों को समय पर निराकरण करने के निर्देश दिये।

11.2.2. आयोग को जानकारी दी गयी कि भोजन पकाने की लागत राशि 01 मई 21 से 15 जून, 2021 तक 36 दिवस हेतु छात्र/छात्राओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी की गयी है। माह अक्टूबर, 2021 तक घर–घर जाकर सूखा राशन– गेहूँ व चावल वितरित हुआ। माह नवंबर एवं दिसंबर,2021 का खाद्यान्न आवंटन शासन से जारी होना है। माह सितंबर, 2021 तक खाद्यान्न परिवहन की राशि जारी की चुकी है। जिले में कुल 2404 रसोईयों/हल्पर्स को अप्रेल, 2021 तक का पारिश्रमिक जारी कर उनके खाते में राशि जमा करा दी गयी है।

11-3- ijd ik"k.k vkgkj dk;de &

11.3.1 जिले की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 187 पंचायतों में 499 गांव हैं जिनमें 1872 आंगनवाड़ी संचालित हैं। जिले में 44 आंगनवाड़ी किराये के भवन में चल रही है। जिले में 06 माह से 03 वर्ष तक के 60198 बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के 49503 बच्चे, 15622 गर्भवती व 14203 धात्री माताएं दर्ज है। 91329 हितग्राहियों को 309278 पैकेट टीएचआर का वितरण किया गया है। जिले में पंजीकृत 165145 बच्चों में से मध्यम कुपोषित 2355, अति कुपोषित 330 बच्चे हैं जिनमें से 210 बच्चों को एनआरसी भेजा गया है। जिले में दर्ज 24506 पात्र गर्भवती माताओं में से 12157 को प्रथम किश्त, 12297 को द्वितीय किश्त व 10232 को तृतीय किश्त प्राप्त हो चुकी है।

11-4- vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k ,o lq>ko &

1 सदस्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को डुंगरिया क्षेत्र की आंगनबाड़ी क्रमांक 1 व 3 में बच्चों के मान से कम गेहूँ प्राप्त होने के संबंध मे जांच कराने एवं समस्या का समाधान कराते हुए आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिये।

2 सदस्य सचिव ने मध्यान्ह भोजन प्रभारी को निर्देशित किया कि वे नलखेड़ा प्राथमिक शाला में प्रति सप्ताह केवल 03 दिन ही छात्रों को भोजन दिये जाने की समस्या की जांच कर प्रतिदिन नियमित भोजन प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं की गयी कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करावें।

3 आयोग ने नलखेड़ा की उचित मूल्य दुकान की मरम्मत कराने के निर्देश दिये ।

4 आयोग ने आंगनवाड़ियों की जांच करने एवं तौल मशीनों की व्यवस्था करने एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिये।

5 आयोग ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सांझा चूल्हा रसोईयो को पारिश्रमिक दिलाने के निर्देश दिये।

6 आयोग ने सुझाव दिया कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुली रहे।

7 आयोग ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वे आंगनवाड़ी केन्द्र , खजूरिया रामदास को समूह द्वारा प्रदाय भोजन पर हुए भुगतान की जांच की जावे एवं भोजन की गुणवत्ता में सुधार कराया जावे।

8 आयोग ने उ.मू.दुकान, बिरहा श्यामखेड़ी में भण्डारित लस्टर लास्ट एवं कचरा मिला हुआ गेहूँ की जांच कराने के निर्देश दिये।

9 बाजार में खाने का तेल, मसाले मंहगे हो गये हैं एवं गैस सिलेंण्डर के दामों वृद्धि हो गयी है, अतः आयोग का सुझाव है कि स्व सहायता समूहों को वर्तमान में भोजन पकाने के लिये दी जा रही राशि में वृद्धि पर विचार किया जावे।

खाद्य आयोग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र, बैरसिया, जिला भोपाल का निरीक्षण

f t yk & gk'kxkckn

12-1 yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh &

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में आधारयुक्त परिवारों की शहरी संख्या 43923 एवं ग्रामीण संख्या 136808 है। जिले की शहरी जनसंख्या 389986 एवं ग्रामीण जनसंख्या 851364 है जिसका शहरी कवरेज 46.67 प्रतिशत तथा ग्रामीण कवरेज 59.56 प्रतिशत है। विकास खण्ड स्तरी निगरानी समिति की 07 बैठक तथा उ.मू.दुकान स्तरीय निगरानी समिति की 689 बैठक हुई है। बैठक नियमित रूप से कराये जाने हेतु संबंधितो को निर्देशित किया गया। जिले में संचालित 442 उ.मू.दुकानों में से केवल 117 निरीक्षण किया जाना पाया गया। निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर 6 शा.उ.मू. दुकानों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा 02 दुकानों के विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी। आयोग ने इस पर संतोष व्यक्त किया। जिले में 15479 परिवारों ने माह में सामगी प्राप्त नहीं किया है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि इन परिवारों की जांच करा ली जावे एवं ये परिवार यदि अपात्र पाये जाते हैं तो नियमानुसार उनकी पात्रता निरस्त की जावे। जिले में 49 विक्रेता दो दुकान एवं 06 विक्रेता 03 दुकानें संचालित करते है। आयोग ने कहा कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुल सके। जिले में नोडल

अधिकारी को प्राप्त 722 शिकायतों में से केवल 479 शिकायतों को निराकरण हुआ। जिला शिकायता निवारण अधिकारी को प्राप्त 195 शिकायतों में से केवल 90 शिकायतों का निराकरण हुआ है, शेष 105 शिकायतें लंबित है। आयोग ने शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये। जिले में दुकान विहीन 113 पंचायतों में से केवल 29 पंचायतों में उ.मू.दुकान खोली गयी है। आयोग ने कहा कि शेष पंचायतों में भी शा.उ.मू.दुकान खोलने की कार्यवाही की जावे।

12-2- i/kkuea=h iks"k.k 'kfDr fuekZ.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;Zdze %&

12.2.1 जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में प्राथमिक शाला 1116 हैं जिसमें 46362 बच्चे दर्ज हैं एवं माध्यमिक शाला 542 हैं जिसमें 31733 छात्र/छात्राएं दर्ज हैं। प्रति छात्र क्रमशः 100 एवं 150 ग्राम के मान से 5748.80 क्विंटल व 6077.48 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन हुआ है। विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि नवंबर, 2020 से अगस्त, 2021 तक छात्रों को भोजन पकाने की राशि के समतुल्य साबुत मूंग का वितरण जिले को प्राप्त होने पर शीघ्र पूर्ण किया जावेगा। आयोग ने कहा कि प्राथमिक के 14389 एवं माध्यमिक के 4148 छात्र/ छात्राओं को राशि प्रदाय नहीं हुई है, उन्हें देय राशि का वितरण शीघ्र किया जावे।

12-3- ijd iks"k.k vkgkj dk;Zde &

12.3.1 जिले की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 421 पंचायतों में 965 गांव हैं जिनमें 132 आंगनवाड़ी संचालित हैं। जिले में 06 माह से 03 वर्ष तक के 48152 बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के 40805 बच्चे, 10947 गर्भवती व 10121 धात्री माताएं दर्ज है। 59114 हितग्राहियों को 264760 पैकेट टीएचआर का वितरण किया गया है। जिले में पंजीकृत 88957 बच्चों में से मध्यम कुपोषित 1282, अति कुपोषित 152 बच्चे हैं जिनमें से 913 बच्चों को एनआरसी भेजा गया है। इनमें से 19 बच्चों को विषय विशेषज्ञों को रेफर किया गया। कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चे 27 है। जिले में दर्ज 30549 पात्र गर्भवती माताओं में से 6535 को प्रथम किश्त, 13076 को द्वितीय किश्त व 10938 को तृतीय किश्त प्राप्त हो चुकी है।

12-4- vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko &

1. सदस्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को आंगनवाड़ी नर्सरी स्कूल केन्द्र क्रमांक 03, जासलपुर में आउटडेटेड भण्डारित टीएचआर को शीघ्र हटाने एवं संबंधित सुपरवाईजर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

2. सदस्य सचिव ने बच्चों को दी जा रही चावल की मात्रा में वृद्धि करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये एवं की गयी कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करावें।

3. आयोग ने उचित मूल्य दुकान निमसाड़िया में भण्डारित खाद को शीघ्र हटवाने एवं संबंधित विभागीय प्रभारी अधिकारी तथा संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

4. आयोग ने आंगनवाड़ियों की पर्यवेक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिये।

5. आयोग ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सांझा चूल्हा रसोईयो को उचित पारिश्रमिक दिलाने के निर्देश दिये।

6. आयोग ने सुझाव दिया कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुली रहे।

7. आयोग ने नवीन उचित मूल्य दुकान के आवंटन में महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।

8. बाजार में खाने का तेल, मसाले मंहगे हो गये हैं एवं गैस सिलेण्डर के दामों वृद्धि हो गयी है, अतः आयोग का सुझाव है कि स्व सहायता समूहों को वर्तमान में भोजन पकाने के लिये दी जा रही राशि में वृद्धि पर विचार किया जावे।

9. शासकीय उचित मूल्य दुकान, रायपुर, जिला होशंगाबाद के विक्रेता द्वारा आपूर्ति निगम से प्रदाय सामग्री की पूर्ण मात्रा प्राप्त न करते हुए स्टाक रजिस्टर में पूर्ण स्टाक प्राप्त करने का इंद्राज करने पर आयोग ने संबंधित एजेंसी एवं विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिया।

10. प्राथमिक शाला, रिधौड़ाखेड़ा के निरीक्षण में पाया गया कि शाला में 10 बच्चे पंजीकृत हैं एवं उन्हें भोजन पकाने की राशि रुपये 350 ही मिल रही हैं। बाजार में खाने का तेल एवं मसाले आदि मंहगे होने से इस राशि से पूर्ति नहीं हो पा रही है। आयोग का सुझाव है कि ऐसी शालाएं जहां पर 25 बच्चे या उससे कम बच्चे अध्ययनरत हैं, वहां भोजन पकाने की राशि कम से कम रुपये 1000 की जावे।

आयोग द्वारा शास. प्राथ. एवं माध्यमिक शाला, जासलपुर का निरीक्षण, जिला होशंगाबाद

ftyk gjnk

13-1 yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh &

जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में आधारयुक्त परिवारों की शहरी संख्या 13084 एवं ग्रामीण संख्या 63006 है। जिले की शहरी जनसंख्या 119364 एवं ग्रामीण जनसंख्या 451101 है जिसका शहरी कवरेज 47.57 प्रतिशत तथा ग्रामीण कवरेज 54.37 प्रतिशत है। जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय बैठके नहीं हुई हैं एवं उ.मू.दुकान स्तरीय केवल 55 बैठकें आयोजित की गयीं। बैठक नियमित रूप से कराये जाने हेतु संबंधितो को निर्देशित किया गया। जिले में संचालित 259 उ.मू.दुकानों में से केवल 21 निरीक्षण किया जाना पाया गया। निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर केवल 01 शा.उ.मू. दुकान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी। आयोग ने निर्धारित लक्ष्य अनुसार निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया। जिले में 24 विक्रेता दो दुकान एवं 04 विक्रेता 03 दुकानें संचालित करते है। आयोग ने कहा कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुल सके। जिले में नोडल अधिकारी को प्राप्त 12 शिकायतों में से केवल 09 शिकायतों का निराकरण हुआ। शेष 03 शिकायतें लंबित है। आयोग ने शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये।

13-2- iwjd iks"k.k vkgkj dk;Zdze &

13.2.1 जिले की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 210 पंचायतों में 527 गांव हैं जिनमें 580 आंगनवाड़ी संचालित हैं। 34 आंगनवाड़ी जर्जर/असुरक्षित भवनों में संचालित हो रही हैं। जिले में 06 माह से 03 वर्ष तक के 23564 बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के 23176 बच्चे, 5263 गर्भवती व 5249 धात्री माताएं दर्ज है। 34076 हितग्राहियों को 04 पैकेट प्रति माह प्रति हितग्राही के मान से टीएचआर का वितरण किया गया है। जिले में पंजीकृत 45087 बच्चों में से मध्यम कुपोषित 574, अति कुपोषित 75 बच्चे हैं जिनमें से 45 बच्चों को एनआरसी भेजा गया है। कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चे 18 है। जिले में दर्ज 5523 पात्र गर्भवती माताओं में से 3138 को प्रथम किश्त, 2209 को द्वितीय किश्त व 1933 को तृतीय किश्त प्राप्त हो चुकी है।

13-3- iz/kkuea=h iks"k.k 'kfDr fuekZ.k ¼e/;kUg Hkkstu½ dk;Zdze ¼&

13.3.1 जिले की समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में प्राथमिक शाला 539 हैं जिसमें 29396 बच्चे दर्ज हैं एवं माध्यमिक शाला 282 हैं जिसमें 19617 छात्र/छात्राएं दर्ज हैं। प्रति छात्र क्रमशः 100 एवं 150 ग्राम के मान से 4696.66 क्विंटल व 4826.93 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन हुआ है। विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि नवंबर, 2020 से अगस्त, 2021 तक छात्रों को भोजन पकाने की राशि के समतुल्य साबुत मूंग का वितरण जिले को प्राप्त होने पर शीघ्र पूर्ण किया जावेगा। आयोग ने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक के 16023 छात्र/ छात्राओं को राशि प्रदाय नहीं हुई है, उन्हें देय राशि का वितरण शीघ्र किया जावे।

13-4- vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko &

1.आयोग ने सुझाव दिया कि एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे ताकि उ.मू.दुकान सप्ताह में प्रतिदिन खुली रहे।

2. आयोग ने नवीन उचित मूल्य दुकान के आवंटन में महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।

3. आयोग ने सतर्कता समितियों की नियमित बैठकें कराने एवं निर्धारित लक्ष्य अनुसार उ.मू.दुकानों के निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

4. बाजार में खाने का तेल, मसाले मंहगे हो गये हैं एवं गैस सिलेंण्डर के दामों वृद्धि हो गयी है, अतः आयोग का सुझाव है कि स्व सहायता समूहों को वर्तमान में भोजन पकाने के लिये दी जा रही राशि में वृद्धि पर विचार किया जावे।

jkT; 'kklu dks izf"kr egRoiw.kZ vuq'kalk,a

8-1 vk;kx }kjk fuEukuqlkj egRoiw.kZ vuq'kalk,a 'kklu dks Hkst h x;h gSa A foHkkxokj fLFkfr fuEukuqlkj gS %&

-'kklu dks Hkst h xbZ izeq[k vuq'kalk,a &

म.प्र. राज्य खाद्य आयोग का गठन खाद्य विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 7–35–2013 उन्तीस–1, दिनांक 11.4.2017 के तहत किया गया है। गठन के दिनांक से खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए आयोग सतत प्रयत्नशील रहा है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा संभाग, जिला एवं विकासखण्ड का नियमित दौरा किया जाता है । भ्रमण के समय निरीक्षण के साथ–साथ विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के साथ चर्चा एवं बैठकें आयोजित की जाती है। बैठक एवं निरीक्षण के आधार पर कठिनाइयों को दूर करने तथा कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य शासन को अपने सुझाव प्रेषित किये जाते हैं।

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में समेकित अनुशंसाएं राज्य शासन को पत्र क्र.130 द्वारा भेजी गई। उक्त येाजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में कुछ और सुझाव/अनुशंसाएं अपने पत्र क्र. 72 द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किए गए हैं। उपरोक्त अनुशंसाएं शासन के समक्ष प्रक्रियाधीन हैं। अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिए समय–समय पर खाद्य, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास विभाग को स्मरण कराया गया है। उक्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर अनुशंसाओं पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए अनुरोध किया गया।

2. विभागों की प्रचलित योजनाओं को लाभकारी एवं परिणाममूलक बनाने के लिए विभागों द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन महत्वपूर्ण निर्णयों को निम्नानुसार समेकित किया जा सकता हैः–

» वास्तविक हितग्राही की पहचान कर उसे अधिप्रमाणित आधार पर राशन देने के लिए सभी जिलों में ए.ई.पी.डी.एस. व्यवस्था लागू की गई है।

» कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर प्रोटिनयुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य दुकान से दाल का विक्रय प्रारंभ किया गया है।

» प्रत्येक पंचायत में राशन दुकान खोलने के लिए निर्णय लिया गया है ।

» वृद्ध, अशक्त एवं अंगूठा घिस जाने वाले हितग्राहियों को अपने नजदीकी व्यक्ति को नामिनी नियुक्त कर उनके माध्यम से राशन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

» योजना लागू होने के बाद पहली बार घर–घर सर्वे कर अपात्र परिवारों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

» डी.एस.के. कंपनी की मशीन को बदलकर सभी राशन दुकानों में विजनटेक कंपनी की मशीन की स्थापना की गई है, जिसके कारण राशन वितरण का कार्य सुगम हुआ है।

» मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए अधिकांश विद्यालयों के किचन शेड में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष विद्यालयों में गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा क्रय करने के लिए राशि निर्गमित की गई है।

» मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा अनाज का अग्रिम आवंटन जारी किया जा रहा है, जिसके कारण स्व सहायता समूहों को समय पर अनाज प्राप्त हो रहा है।

» पिछले वर्ष की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर अगले माह के लिए आवंटन जारी होने से कम अनाज मिलने की शिकायत बहुत हद तक दूर हुई है।

चालू वित्तीय वर्ष में आयोग द्वारा 11 जिलों का भ्रमण कर खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। समस्याओं को रेखांकित कर विस्तृत कार्यवाही विवरण यथा समय जिला प्रशासन एवं शासन को भेज दिए गए है।

mfpr eY; n|dku dk fujh{k.k] c|jfl;k] ftyk Hkksiky

[kk| vk;kx }kjk 'kkldh; mfpr eY; n|dku dk Hke.k ftyk] fofn'kk

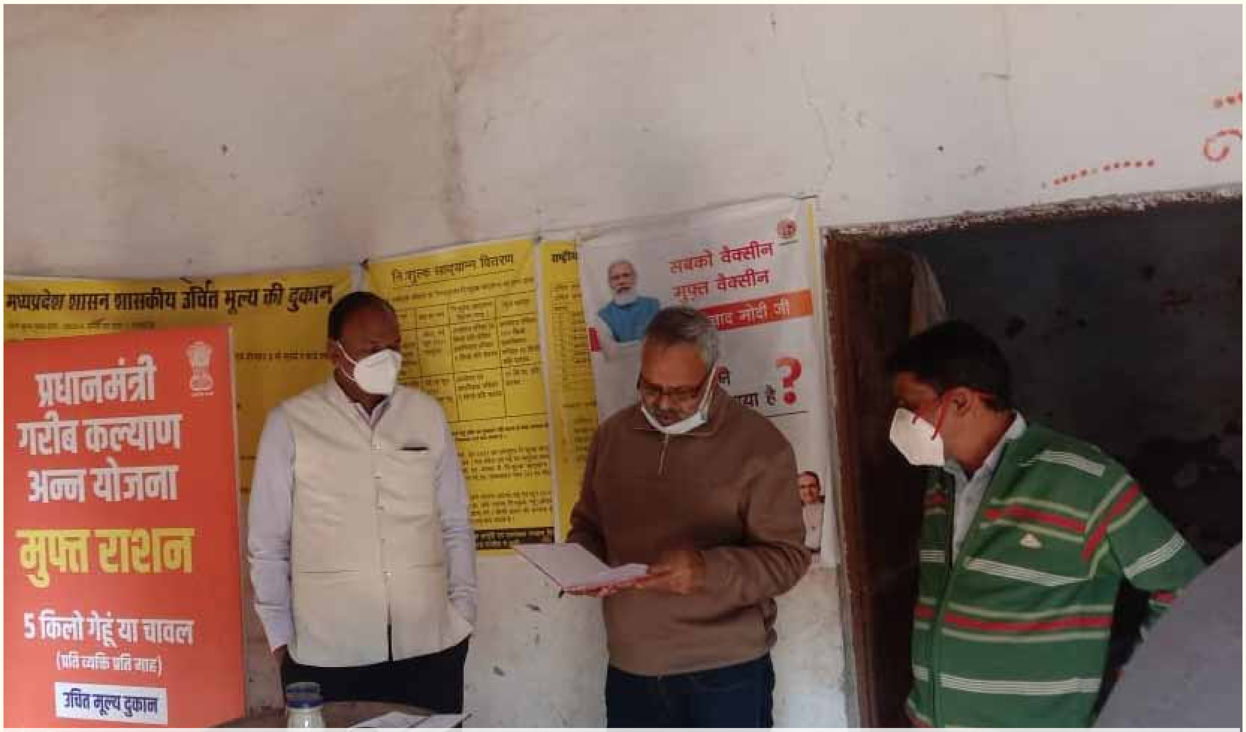

'kkldh; mfpr eY; nqdku dk fujh{k.k] cjfl;k] ftyk Hkksiky

vkxuokMh uy[kMk esa cPPkksa dks ink; Hkkstu dk p[kuk

'kkyk dk fujh{k.k ftyk

आयोग द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान, जासलपुर, जिला होशंगाबाद का निरीक्षण

ikFk- 'kkyk] fdpu tklyiqj] ftyk gk'kxkckn dk fujh{k.k

आगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण, बैरसिया, जिला भोपाल

खाद्य आयोग द्वारा समीक्षा बैठक जिला विदिशा

स्वास्थ्य जाँच
खुशखबरी